देश की इस नाजुक स्थिति में मानवीय अन्धविश्वासों को बढ़ावा दे कर गरीब आदमी को मजबूर इन्सान को बहकने का काम तथा कार्यशुन्यता को बढ़ाने का काम इस धारावाहिक के प्रसार माध्यम से बढ़ने की आशंका है । 21वीं सदी में पदार्पण करने वाला प्रगतिशील भारत और भारतीय जनता का यह घोर अपमान है । केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस तरह से अन्धविश्वासों को बढ़ावा देने वाले धारावाहिक को तत्काल बन्द कर दिया जाए तथा भविष्य में ऐसा कोई भी सीरियल दूरदर्शन जैसे शासकीय माध्यम से न दिखाय जाए । इस तरह के माध्यम से जो कार्यक्रम हमारे देहातों की तरफ भी प्रसारित होते हैं देहात के लोग तो पहले ही अपनी गरीबी से तंग आ चुके हैं, अन्धविश्वासों की बलि चढ़ रहे हैं, औरतों का जीना बड़ा दुश्वार हो रहा है इस तरह से अन्धविश्वासों का, पुनर्जन्म जैसी, भत-पिशाच जैसी बातें बता कर दूरदर्शन के लोग न जाने किस तरह से इस दश के लोगों को बरबादी के रास्ते पर डाल रहे हैं और यह सब सरकार और लोगों के पैसे खर्च कर के किया जा रहा है जो बहुत बुरी बात है । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि यह जो धारावाहिक है यह तुरंत बंद कर दिया जाये और इस तरह के धारावाहिक कभी भी भविष्य में दूरदर्शन के माध्यम से जनता को न दिखायें जायें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : महोदया, दूरदर्शन को इतनी गम्भीरता से नहीं लेना चाहिए । कभी वे तमस दिखाते हैं, कभी तमाशा दिखाते हैं, पुनर्जन्म भी दिखा देते हैं ।

---

1. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 1987

2. THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1988.

3. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE DELHI ADMINISTRATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1987

4. THE DELHI ADMINISTRATION (AMENDMENT) BILL, 1988

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up the Resolutions and both the Bills together.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : महोदया, मैं संकल्प उपस्थित करता हूं कि :

"यह सभा 24 दिसम्बर, 1987 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है ।"

"यह सभा 24 दिसम्बर, 1987 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का संख्यांक 10) का निरनुमोदन करती है ।"

महोदया, जैसा मैंने कहा, सदन के सामने दो अध्यादेश हैं । इन अध्यादेशों के निरनुमोदन करने का संकल्प पूरे प्रतिपक्ष की ओर से उपस्थित किया गया है । ये अध्यादेश 24 दिसम्बर, को जारी किए गए थे । संसद की बैठक 16 दिसम्बर तक हो रही थी। सरकार का इरादा अगर दिल्ली की जनता को अपने लोक प्रतिनिधि निर्वाचित करने के अधिकार से वंचित करने का था कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अगर दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन और मैट्रोपोलिटन काउंसिल की अवधि बढ़ाने का था तो ईमानदारी के साथ ही जब संसद की बैठक चल रही थी उसे प्रस्ताव लेकर आना चाहिए था, विधेयक लेकर आना चाहिए था । लेकिन सरकार लगातार यह दावा करती रही कि दिल्ली में चुनाव नियत समय

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

पर होंगे । मुझे याद है, गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक हो रही थी उसमें मेरे सहयोगी श्री आडवाणी जी ने दिल्ली के चुनाव के बारे में जानकारी मांगी थी । यह बैठक 10 दिसम्बर, 1987 को हुई । जो जानकारी मिली उसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

"The elections to the M.C.D. and M.C. are due in February-March 1988, respectively. To enable the holding of elections, an intensive revision of the electoral rolls was undertaken and the work is almost complete."

यह 10 दिसम्बर, 1987 को गृह मंत्रालय से संबद्ध संसदीय संसद सदस्यों की सलाहकार समिति में दिया गया उत्तर है । 18 दिसम्बर को भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला । श्री पेरिशास्त्री से उनकी बातचीत हुई । श्री पेरिशास्त्री ने कहा कि कमीशन मेघालय, त्रिपुरा और दिल्ली के चुनाव के लिए तैयार है । राज्य सरकारों से आदेश आना बाकी है । आदेश मिलने पर हम चुनाव करेंगे । यहां तक कि 23 दिसम्बर, को, यह अध्यादेश निकाला गया 24 दिसम्बर को जब मैट्रोपोलिटन काऊंसिल में यह मामला भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने उठाया और यह आंशका व्यक्त की कि अपनी पराजय के डर से कांग्रेस पार्टी कहीं दिल्ली के चुनाव टाल न दे तो मुख्य कार्यकारी पार्षद ने कहा कि चिंता मत करिये, चुनाव निर्धारित समय पर होंगे । 24 दिसम्बर, का दिन सरकार ने चुना । 25 दिसम्बर, को बड़ा दिन होता है, क्रिसमस डे है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (मध्य प्रदेश) : वाजपेयी जी का जन्म-दिन भी है, तो यह उपहार दिया गया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार ने मुझे उपहार नहीं दिया, सरकार ने दिल्ली की जनता को उपहार दिया और ऐसा उपहार दिया, जिसे दिल्ली की जनता पसंद नहीं कर सकती । क्या यह बड़े दिन का तोहफा था ? 16 दिसम्बर तक संसद की बैठक हुई, सरकार विधेयक लेकर नहीं आई । फिर भी सरकार रुक सकती थी क्योंकि जैसा कि सरकार ने स्वयं जिक्र किया है, कार्पोरेशन की अवधि फरवरी में समाप्त होने वाली थी । मैट्रोपालिटन कौंसिल का कार्यकाल मार्च तक था । अध्यादेश निकालने की क्या जरूरत थी ? जब संसद की बैठक हो रही थी, तब आपने संसद को विश्वास में नहीं लिया, संसद की अगली बैठक के लिए आप रुके नहीं, संसद की उपेक्षा करके, अवहेलना करके आपने दिल्ली की जनता पर यह वज्रपात कर दिया ।

ठीक है, सरकार को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है । संविधान का अनुच्छेद 123 इस बात का अधिकार देता है, लेकिन उसमें दो शर्तें हैं । एक–संसद की बैठक नहीं होनी चाहिए । यह शर्त तो आप पूरी करते हैं, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं करते हैं ।

"If at any time, except when both Houses of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require."

"इमिजेट एक्शन" शब्द है । यह दो अध्यादेश जारी किए गए । इनमें तुरंत कार्यवाही करने का क्या औचित्य था, क्या आवश्यकता थी ? संसद की बैठक में कार्यवाही हो सकती थी, अगली बैठक के लिए मामला टाला जा सकता था । अगर जरूरत होती और संसद के प्रति सरकार में सम्मान की भावना होती, तो ऐसे अवसरों पर संसद की बैठक जल्दी भी बुलाई जा सकती है । अगर किसी प्रदेश में राष्ट्रपति राज पर मुहर लगानी होती, तो सरकार जरूर संसद की बैठक पहले बुलाती लेकिन कारपोरेशन का चुनाव है, भले ही दिल्ली की आबादी 80 लाख हो, लेकिन दिल्ली के नागरिकों के लिए सरकार के मन में कोई आदर नहीं है ।

चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिल्ली के

नागरिकों को मिला है, लेकिन उस अधिकार का वह उपयोग नहीं करते क्योंकि सरकार ने फैसला कर लिया है कि एक साल तक चुनाव नहीं होंगे और, महोदया, केवल एक साल तक ही नहीं, गुंजाइश छोड़ दी गई है कि अगर जरूरत पड़े, तो दिल्ली में चुनाव तीन साल तक टाल दिये जायें। क्या मतलब है इसका ?

चुनाव टालने के लिए एक बहाना बनाया गया है कि सरकारिया कमेटी का, लेकिन सरकारिया साहब सरकार के किस-किस काम आयेंगे। जो मुख्य काम था, वह काम तो उन्होंने पूरा कर दिया। उनकी रिपोर्ट आ गई है। वह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सदन को उस पर बहस करने का मौका मिलना चाहिए। अब उन्हें दिल्ली का मामला सौंप दिया गया है।

दिल्ली में विधान सभा होनी चाहिए, इस तरह का वायदा कांग्रेस पार्टी ने 1980 के चुनाव घोषणा-पत्र में किया गया। 1983 में जब मेट्रोपालिटन कौंसिल के चुनाव हुए, तब भी कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया था, कि दिल्ली में विधान सभा होगी।

1980 का आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसको अमल में लाने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया गया है। सरकार सोती रही, प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न रही और अचानक उसकी निद्रा 24 दिसम्बर, 1987 को टूट गई। त्रिपुरा में चुनाव हो चुके हैं, किन परिस्थितियों में हुए, मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूं। मेघालय में भी कांग्रेस की सरकार बन गई है। वह किन परिस्थितियों में बनी है, मैं उसका भी उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। लेकिन वहां आपने चुनाव कराए, दिल्ली में चुनाव नहीं किए। क्या यह सच नहीं है दिल्ली में चुनाव इसलिए टाल दिए कि दिल्ली में कांग्रेस अपनी पराजय के बारे में आश्वस्त थी कि हारना निश्चित है। जहां हार दिखायी देती है, वहां चुनाव के मैदान से भाग जाओ, वहां की जनता को अपने मताधिकार के उपयोग से वंचित कर दो। मताधिकार का उपयोग न करने दो। सरकारिया कमीशन को काम सौंपा गया है, मैं उद्धृत करना चाहता हूं सरकार ने जो वक्तव्य सभा-पटल पर रखा है :

"To go into the various issues connected with the administration of the Union Territory of Delhi including the drawbacks, if any, in the efficient functioning of the existing administrative and Municipal authorities in Delhi, the nature and extent of overlapping of functions and for making the suggestions for securing all-round improvements in providing services to the public, etc."

क्या इन मामलों पर पहले विचार नहीं होना चाहिए था ? क्या कांग्रेस पार्टी को सरकार को चुनाव के समय दिए गए अपने आश्वासनों का ध्यान नहीं था ? सरकारिया कमेटी की नियुक्ति का बहाना लेकर चुनाव टाल दिए गए।

यह ठीक है कि दिल्ली मे अनेक संस्थाएं है। दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन है, मैट्रोपोलिटन कांउसिल है, एन० डी० एम० सी० है, दिल्ली कैंट अलग है डी० डी० ए० है, डी० टी० सी० है, डेसू है, डी एस० आई० डी० सी० है, सुपर बाजार अलग है, डी० एम० एस० है, डी० डब्ल्यू एस० है, एस० डी० यू० है। संस्थाएं बहुत हैं। लेकिन उनमें तालमेल भी नहीं है। दिल्ली को इस आधार पर विधान सभा देने से मना किया जाता है कि दिल्ली राजधानी है। राजधानी में दो सरकारें कैसे रह सकती हैं। मानों दो सरकारें क्या हो गई जैसे दो तलवारे, और एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं ? अरे, तलवारें जड़ होती हैं, सरकारें सजीव होती हैं। सरकारों का संचालन व्यक्ति करते हैं। कैन्बरा में, ओटावा में अलग सरकारें हैं और दोनों नगर राजधानी के रूप में भी काम में लाए जा रहे हैं। यह ठीक है, वाशिंगटन की व्यवस्था अलग है, लेकिन हम अमरीका की नकल करें, इसकी कहां आवश्यकता है ? दिल्ली के ढांचे के बारे में पहले से विचार करके, चनाव आने से पहले विचार करके एक निर्णय हो जाना चाहिए था और उसके अनुसार इस अवसर पर चुनाव होने चाहिए थे।

मेरा आरोप है कि ये साल भर बाद भी चुनाव नहीं करायेंगे, अगर परिस्थिति इनके

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

अनुकूल नहीं रही । क्या कार्पोरेशन के चुनाव, मैट्रोपोलिटन काउंसिल के चुनाव सरकार की इच्छा पर निर्भर होंगे? जब चाहेगी सरकार चुनाव करायेगी और जब चाहेगी नहीं करायेगी । सरकारिया कमेटी बनी है, इस आधार पर चुनाव कैसे टाले जा सकते हैं ? क्या सरकार इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है । क्या विधान सभा के चुनाव किसी प्रदेश में इसलिए टाले जा सकते हैं कि उस प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में विचार करने के लिए कमेटी बनी है । विधान सभा के चुनाव नहीं टाले जा सकते, क्योंकि विधान सभा के चुनाव के बारे में संविधान में लिखा है ।

महोदया, मैं मांग करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि देश में जितने भी म्युनिसिपल कार्पोरेशन है, म्युनिसिपल कार्पोरेशन के नीचे की जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, इनके चुनाव का काम इलेक्शन कमीशन को सौंप देना चाहिए । न तो यह केन्द्र की सरकार पर निर्भर रहना चाहिए और न प्रदेशों की सरकारों पर निर्भर रहना चाहिए । आज सारे देश में 60 से ज्यादा म्युनिसिपल कार्पोरेशन ऐसे हैं जहां निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं, जहां प्रशासक काम कर रहे हैं । केवल मध्य प्रदेश में 17 कार्पोरेशन निलंबित हैं और अफसरों द्वारा चलाए जा रहे हैं । 356 म्युनिसपल परिषदें मध्य प्रदेश में है, जिनमें से केवल 68 में चुनाव हुए हैं । हाई कोर्ट के निर्देश से कुछ कार्पोरेशन के चुनाव हुए, लेकिन उसकी अवधि समाप्त हो गई, वहां दुबारा चुनाव नहीं हुए । उत्तर प्रदेश में तो सन् 1971 से चुनाव नही हुए । कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में जब कांग्रेस की सरकारें हटीं और नई सरकारें आई तो उन्होंने स्थानीय संस्थाओं के चुनाव कराए ।

हमारी मांग है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए । आज केन्द्र की एक सूची है, राज्यों के अधिकारों का विवरण देने वाली दूसरी सूची है, एक समवर्ती सूची भी है, एक नई सूची जोड़ने की आवश्यकता है, जिसमें लोकल-बोडीज के अधिकारों के बारे में उनके वित्तीय-साधनों के बारे में स्पष्ट निर्देश होना चाहिए । इन स्वराज्य संस्थाओं को प्रादेशिक सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता । लेकिन प्रादेशिक सरकारों के सामने केन्द्र कैसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है ? चुनाव टालने के लिए बहाने निकाल रहा है । चुनाव कराने के बाद दिल्ली के ढांचे पर पर अगर पुनर्विचार करना था तो वह किया जा सकता था ।

यह बहस तो वर्षों से चल रही है । दिल्ली इस दृष्टि से बड़ी अभागी है । सन् 1912 में अंग्रेज अपनी राजधानी कलकत्ता से लेकर के दिल्ली में आए । तब से दिल्ली की किल्ली दिल्ली रहती है । दिल्ली का ढांचा ही तय नहीं होता है । पहले चीफ कमीशनर का प्रोवीन्स था, लेकिन सन् 1951 में व्यवस्था बदली, दिल्ली को "सी" पार्ट का स्टेट बना दिया गया, उस समय दिल्ली की विधान सभा थी, मंत्रि-परिषद् थी, चीफ कमीशनर को मंत्रि-परिषद् सलाह देती थी । यह ठीक है कि मंत्रि-परिषद् को भी पूरे अधिकार नहीं थे । पब्लिक आर्डर, लैंड्स एण्ड बिल्डिंग्स, सर्विसेज, इनके बारे में मंत्रि-परिषद् विचार नहीं कर सकती थी । लेकिन सन् 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो नए राज्य बने, उनको विधान सभाएं मिलीं, उनके मंत्रिमंडल स्थापित हुए और दिल्ली जो पार्ट "सी" का स्टेट था, उसे समाप्त कर दिया गया, विधानसभा तोड़ दी गयी, मंत्रि-परिषद् भंग कर दी गयी और दिल्ली को संघ शासित-क्षेत्र घोषित कर दिया गया ।

अब दिल्ली केन्द्र के अधीन है । दिल्ली की 80 लाख जनता, जो इस शताब्दी के अंत तक 1 करोड़ 20 लाख होगी, वह जनता अपना दुखड़ा लेकर कहां जाय ? महोदया, यह कहा जाता है कि दो सरकारें होंगी । इस समय दिल्ली में दो दर्जन सरकारें चल रही हैं । हर मंत्रालय एक सरकार है और मंत्रालय सरकार ही नहीं है, यह साम्राज्य है । दिल्ली की जनता को अगर दूध की कठिनाई है तो कृषि मंत्री के पास जाना होगा, सुपर-बाजार में धांधली हो रही है तो वाणिज्य मंत्री के पास जाना होगा, अगर बसों की संख्या कम है या ठीक नहीं चलती है, उनका किराया बढ़ाया जा रहा है, उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है तो परिवहन मंत्री के पास जाना होगा ।

दिल्ली के नागरिक अपना दुखड़ा कहां रोएं । इसका नतीजा यह हो रहा है कि अफसरशाही का बोलबाला हो रहा है। दिल्ली की पुलिस किस तरह से व्यवहार कर रही है, डी०डी०ए० किस तरह भ्रष्टाचार का केन्द्र बना हुआ है, मैं इन संस्थाओं के बारे में इस समय विस्तार से कहना नहीं चाहता । इन पर किसका अंकुश है । मेट्रोपोलिटन-कौंसिल का मेम्बर खाली बहस कर सकता है और वह भी सब मामलों पर बहस नहीं कर सकता । मेट्रोपोलिटन-कौंसिल के प्रति जो उत्तरदायी है एग्जीक्यूटिव-कौंसिल, उसको भी कोई अधिकार नहीं । दिल्ली में अगर विकास की योजनाएं लानी है, दिल्ली में अगर लोगों के कल्याण के लिए कोई कदम उठाए जाने हैं, सारा फैसला केन्द्र करेगा, तो 50 लाख की कोई अगर योजना होगी तो वह भी दिल्ली के प्रशासक बिना केन्द्र की अनुमति के कार्यान्वित नहीं कर सकते। मंत्रालयों को समय कहां है । दिल्ली की समस्याओं पर ध्यान देने का ।

1.00 P.M. इसलिए समय आ गया है कि दिल्ली का ढांचा बदला जाय । इसे लोकतांत्रिक रूप दिया जाय । दिल्ली की जनता को अपना शासन आप चलाने का अधिकार होना चाहिए । दिल्ली में विधान सभा होनी चाहिए । पांडिचेरी के ढांचे पर नहीं, पूरी सत्ता वाली विधान सभा, मंत्रिपरिषद होनी चाहिए और वह सारी संस्थाओं में तालमेल स्थापित कर के जनता के प्रति अपने दायित्व का पालन करे, इस तरह की व्यवस्था आवश्यक है ।

इस सरकार ने जो सरकारिया कमीशन नियुक्त किया है और उसके लिए जो टर्म्स आफ रिफरेंस निश्चित की गयी हैं, जिनका उल्लेख सभा-पटल पर रखे गए वक्तव्य में भी किया गया है, उसमें कहीं भी इसका संकेत नही है कि सरकार का दिमाग विधान सभा बनाने के बारे में भी चल रहा है । ओवरलेपिंग हो रहा है । उसको कैसे ठीक किया जाय । विभिन्न संस्थाओं में तालमेल कैसे बिठाया जाय, इतना ही कहा गया है ।

आपने चुनाव टाल दिए, दिल्ली की जनता के साथ अन्याय किया । लोकतंत्र में आपने अपनी अनास्था प्रकट की है । अध्यादेश जारी करने के अधिकार का दुरुपयोग किया है अगर केन्द्र में इस तरह से अध्यादेश जारी करने के अधिकार का दुरुपयोग होगा तो प्रदेशों की क्या स्थिति होगी ? बिहार में आर्डिनेंस राज्य चलता है । आर्डिनेंस विधान सभा की बैठक में स्वीकृति के लिए भी नहीं रखे जाते । उन्हें रद्द होने दिया जाता है और जैसे ही विधान सभा की बैठक स्थगित हो जाती है वह अध्यादेश फिर जारी कर दिया जाता है । केन्द्र को आदर्श रखना चाहिए । अगर आप संसद की बैठक में आ जाते तो कोई आसमान नहीं टूट जाता । अगर आप थोड़े दिन रुक जाते तो धरती नहीं धसक जाती । लेकिन संसद की अवहेलना करो, संसद को ताक पर रखकर फैसले करो, यह फैसला आपने कर लिया । लेकिन अब दिल्ली की जनता द्वारा बहुत पहले से की जा रही मांग को पूरा करने की दिशा में केन्द्र सरकार को आगे बढ़ना होगा । मंत्री महोदय जब जवाब दें तो कई बातें स्पष्ट करें—एक बात तो यह स्पष्ट करें कि चुनाव केवल एक वर्ष के लिए टाले गए हैं । इससे आगे नहीं टाले जाएंगे और अगर वह यह आश्वासन दें तो मैं उनसे कहूंगा कि वह संशोधन लाएं और इस समय जो अध्यादेश है और उसमें तीन साल की जो छूट लेने की कोशिश की गयी है, उसको वह निकाल दें । दूसरी बात यह है कि दिल्ली में विधान सभा के बारे में केन्द्र सरकार का अपना कोई दिमाग है या नहीं या केन्द्र सरकार ने अपना दिमाग सरकारिया कमेटी को गिरवी रख दिया है ? चुनाव के समय किए गए वायदों का क्या हुआ ? कांग्रेस पार्टी उन वायदों से मुकर रही है । पांच साल उन वायदो पर अमल नहीं हुआ । अब फिर चुनाव में आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा । उस समय आपका उत्तर क्या होगा ? सारा प्रतिपक्ष एक है कि दिल्ली में विधान सभा होनी चाहिए।

[श्री अटल बिहारी बाजपेयी]

उस विधान सभा को पूरे अधिकार होने चाहिए । केन्द्र सरकार के साथ उसका संघर्ष हो यह आवश्यक नहीं है । संघर्ष की कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए । अधिकार क्षेत्र बंटा हुआ है । राजधानी के लिए थोड़ा सा इलाका छोड़ा जा सकता है । लेकिन दिल्ली में इस समय जो अंधेरगर्दी हो रही है उसको रोकने के लिए, दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए और कोई रास्ता नहीं है ।

श्री राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री बने, तीन साल पहले की बात है तो शायद 8 यूनियन टेरिटरीज थीं । उस में से तीन यूनियन टेरिटरीज पूरे राज्य बन गयी । मिजोरम में समझौता हो गया और उसे पूरे राज्य का दर्जा दे दिया गया । अरुणाचल को राज्य का दर्जा मिल गया । गोवा पूर्ण राज्य है । किसी भी कसौटी से आप देखें, दिल्ली का क्षेत्र एक राज्य का दर्जा पाने का अधिकारी है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : दिल्ली तो लक्ष्यद्वीप के बराबर है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली का क्षेत्रफल, दिल्ली की जनसंख्या, दिल्ली के वित्तीय साधन आप देखें । अभी मैं देख रहा था--वर्ष 1986-87 में त्रिपुरा को जो धन मिला है, यूनियन टेरिटेरी के नाते, तो कोई परसेंटेज नहीं मिलता और अच्छा है कि श्री शिवशंकर जी यहां विराजमान हैं । त्रिपुरा को अलग राज्य बनने पर 1986-87 के लिए 81.7 करोड़ की धनराशि मिली है । वित्त आयोग जिस परसेंटेज के हिसाब से देता है और प्लानिंग कमीशन जिस तरह से पूरा विचार करता है उस में राज्य बनते ही स्थिति बदल जाती है । उस क्षेत्र की ओर देखने का केन्द्र का दृष्टिकोण बदल जाता है । यह यूनियन टेरिटेरी है, बट्टे खाते में पड़ा हुआ है । समय पर उपयोग कर लिया जायगा, नहीं तो उस की उपेक्षा कर दी जायेगी । दिल्ली इस का शिकार है । पर हम लोगों ने हिसाब लगाया है, दिल्ली की आबादी त्रिपुरा से 4 गुनी, 8 गुनी है और इस हिसाब से अगर दिल्ली को धन मिले तो दिल्ली को 300 करोड़ रुपए प्राप्त होने चाहिएं । लेकिन अभी वह इस धन से वंचित है । सेवाओं पर चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार नहीं है । तालमेल के लिए भी छोटी सी बात के लिए भी केन्द्र सरकार के पास दौड़ना पड़ता है । यह स्थिति नितांत आपत्तिजनक है, असंतोषजनक है । इस स्थिति में बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए । सरकारिया कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करें यह आवश्यक नहीं । हर सवाल का जवाब यह नहीं होना चाहिए कि थमो, सरकारिया कमेटी विचार करती है । ठहरो, ठहरो, सरकारिया कमेटी विचार कर रही है । जैसे बोफोर्स का कोई मामला उठे तो कहा जाता है कि ठहरो, ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी विचार कर रही है । यह जवाब नहीं होना चाहिए । आपने अध्यादेश निकाल दिया दिल्ली के लिए । अन्याय किया । संसद् की अवमानना के लिए आप दोषी हैं । इस सत्र में आप साफ-साफ इस का जवाब दीजिए और बताइये कि दिल्ली का जहां तक असेम्बली देने का सवाल है आप अपने घोषणा पत्र से बंधे हुए हैं या नहीं ? या जिस तरह से आप ने और बातों पर पानी फेर दिया, क्या इस बात को भी आप रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे ?

The questions were proposed.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): Madam, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, be taken into consideration."

"That the Bill further to amend the Delhi Administration Act, 1966, be taken into consideration."

Madam, I listened patiently to what the hon. Member, Shri Vajpayeeji, just now spoke. I always like to listen to his Hindi speech to learn some-

thing from him. Really I listened to it carefully so that I should learn something of Hindi also.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Could you follow Marathi? He spoke something in Marathi also.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: One of the points raised by Shri Vajpayee was about the Ordinance. I can just say that we have full respect for Parliament and there is no question of having any disrespect for the people of Delhi. As Mr. Vajpayee himself pointed out, till 16th December, the Parliament was in session and on 24th of December, the Ordinance was promulgated. It is not a question of difference of eight days that has been made out. On the 16th the Parliament was in session and why the Bill was not put forward in Parliament when it could have been discussed. For long periods all these problems were being discussed. In this Parliament during the last one year, I hope, more questions have been asked in this House so far as the problems of the people of Delhi are concerned. On the difficulties of the DDA's working a number of questions have been raised, and we have answered them. One of the questions was whether there should be an Assembly for Delhi. So, all these questions were answered.

This was being worked out by different Ministries, as to what kind of an administrative set-up we can give to the people of Delhi so that all the problems, the difficulties, the sufferings, we can solve. Therefore, we are very much attuned to the feelings of the people of Delhi. We saw the difficulties that they are experiencing. Therefore, we thought that something should be done so that we can ultimately find out a solution to all the difficulties and can give the people of Delhi a cohesive and a very good, efficient administration so that the peopel will not be subjected to the sufferings because of the functioning of the multiplicity of the authorities. We have the multiplicity of authorities. Their number is large. Mr. Vajpayee has mentioned some of these. The following authorities function in the Union Territory of Delhi for managing its affairs:

All the Union Ministries. How many Ministries? Mr. Vajpayee pointed out where people have to go for milk supply, where they have to go for road. So, all the Union Ministries.

The Delhi Administration.

The Delhi Metropolitan Council.

The Municipal Corporation of Delhi.

The New Delhi Municipal Committee.

The Delhi Cantonment Board.

The Delhi Development Authority.

The Delhi Transport Corporation.

The Delhi Electric Supply Undertaking.

The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking.

The Delhi Fire Service.

Mr. Vajpayee added the Delhi Milk Supply Scheme and other agencies also.

These are the difficulties, Madam, personally also, everyday many people from Delhi come and tell me their difficulties and ask where they should go. Mr. Vajpayee pointed out about the police administration. Everyday there are a number of problems. Everyday a number of people come. Whom to go? Where to find a solution of the problem? This is the constant problem of the people of Delhi.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: These are not new problems.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: These are the problems which you are facing. You also have highlighted them in the House. All the Members have highlighted them in the House. These are the sufferings of the people of Delhi. Some ways should be found. Everyday how many people are coming to Delhi? Everyday people from all the surroundings areas are migrating to Delhi. It means the problem increases. They demand new services, and they demand amenities. They want more water. I have gone to many wards in Delhi. I visit them sometimes just to find out the problem. People say, there is no drinking water. We are trying to improve drinking water facilities. About electricity, the same difficulties. About education also, schools and hospitals, there are so many difficulties. The housing is one of the biggest problems in Delhi, and it is going on increasing.

Mr. Vajpayee asked why it was not brought before in Parliament. What would have been the difference? As we are discussing, we took the earliest opportunity. After the ordinance we took the earliest opportunity to come to Parliament so that Mr. Vajpayee can discuss and give us advice as to what to do, how to solve these problems. Advaniji is here, and all the friends are here. We wanted it immediately to be put before the House. Supposing it was done on 16th or 14th or 15th, the same thing would have been discussed. Therefore, we immediately took the opportunity to come to the House so that you can give your advice on what can be done. Shri Vajpayeeji has pointed out that by issuing ordinances we are showing disrespect to the House. Sir, I looked into the number of ordinances that were issued over the years in the past. In 1977, 16 ordinances were issued, in 1978, 6 ordinances were issued, in 1979, 12 ordinances were issued and in 1980, 19 ordinances were issued. If you compare, between 1985 and 1987 there were only eight ordinances issued in 1985. And what were those ordinances about? They were regarding payment of Bonus (2nd Amendment), they were for the interest of the working class. In 1986, the number was the same. They were for the Statehood of Arunachal Pradesh and Mizoram and like this. And in 1987, the number was 10, including the Delhi Administration (Amendment) Ordinance and the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Ordinance. Therefore, it is wrong to say that we are paying disrespect to Parliament or we are taking recourse to issuing more ordinances. We are always giving full respect to Parliament because we are product of Parliament, as Shri Vajpayee is a product of Parliament. Parliament is supreme. Therefore, you will never see that the ordinance making power is being used to avoid discussion in Parliament.

Now, why it was issued on 24th in this case, as Shri Vajpayee wanted to know? It was so because we were exercised over all these problems and some solutions had to be found out. Supposing these elections were held and a new body was elected. And if in such situation we had decided, taking into consideration the totality of the circumstances, to give Assembly status to Delhi, then what would have happened? All the Members who had been elected in March and February would have said, no, we should continue till the term is over. These are the difficulties which came to our notice and we thought that something serious has to be thought out about it. There is no difference of opinion in regard to the problems and sufferings being faced by the people of Delhi. We know them fully well and we are trying to see that they are solved as early as possible. Therefore, in response to the popular demand to review the administrative set-up in Delhi, the Government appointed a high-powered Committee in December, 1987 under the Chairmanship of Justice R. S. Sarkaria. It has been appointed to look into various issues

connected with the administration of the Union Territory of Delhi, including the drawbacks as Shri Vajpayee has read out for the efficient functioning of the existing administrative and municipal authorities of Delhi. Sir, the States reorganisation Commission in 1956 had recommended the Union Territory status for Delhi. We hope the Sarkaria Commission will go into that aspect. Supposing the Sarkaria Commission recommends for efficient and cohesive functioning there is no need for multiplicity of authorities and that there should be a State Assembly, then we will have to look into the Report of the Sarkaria Commission.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, सरकारिया कमीशन का जो टर्म्स आफ रिफरेंस है उसमें असेम्बली की बात नहीं है । क्यों नहीं है ? क्या टर्म्स आफ रिफरेंस में अभी अमेंडमेंट लाकर उसमें असेम्बली की बात लायेंगे ? मझे डर है कि सरकारिया कमीशन के सामने लोग जायेंगे, संगठन जायेंगे, राजनीतिक दल जायेंगे और वह असेम्बली की मांग करेंगे, सरकारिया कमीशन यह दृष्टिकोण अपना सकता है कि हमारे टर्म्स आफ रिफरेंस में कमीशन की बात नहीं है इसलिए हम उस बारे में बात नहीं करेंगे ।

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: If you read the terms of reference it is efficient functioning of the existing administrative set-up and municipal authorities in Delhi. What does efficient functioning mean? It includes all these things. They must suggest something for the efficient functioning and cohesive functioning of the administrative set-up. The other terms of reference are to bring some kind of cohesive administrative set-up with properly defined authority. I hope this will include all these things so that people of Delhi could be served better for prompt redressal of their grievances. They must give us some idea as to what kind of efficient administration and set-up they want. The Committee would also examine the nature and extent of overlapping of functions, if any, and the difficulties experienced by the common in Delhi in his day-to-day dealings with such authority. The Committee will make recommendations regarding rationalisation of administrative and municipal set-up with a view to ensuring efficiency and effectiveness in the functioning of various authorities avoiding overlapping of functions and securing all-round improvement in providing services to the public. Very wide terms of reference have been given to them. The Sarkaria Commission have given a very good report earlier on Centre-State relations and it is being discussed with the Members of Parliament. I think, we have provided a copy to each Member of Parliament.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Only a few copies have been placed in the library.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: I think we have sent copies to all Members.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Madam, I stand corrected.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: If you have not got a copy, then I will send it to you.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I want a deluxe copy.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Mr. Advani knows that we have decided to discuss it in the Consultative Committee meeting. We have agreed to have a separate meeting of the Committee to discuss this report.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Even then you supply one copy to him.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: I will do that.

The Committee may also recommend amendments to the existing laws or enactment of a new law wherever necessary and take such other

[Shri Chintamani Panigrahi]

measures as the Committee may consider it necessary. So wide powers have been given. The Committee has been requested to submit its report within six months.

Another point which was raised by Mr. Vajpayee was that the Congress is afraid of facing elections, so we wanted to hand it over to the Committee, and the Committee will take time and all that. So far how many elections we have faced?

SHRI M. A. BABY (Kerala): Declare Delhi as a disturbed area and then go for elections.

SHRI K. MOHANAN (Kerala): Yes, declare Delhi as a disturbed area.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Sir, between 1985 and 1987, our Government has gone in for more elections than in the previous years. During this period, we have gone in for elections in Haryana, J & K, Kerala, West Bengal, Nagaland, Tripura and Meghalaya and also many bye-elections. So we are not afraid of elections.

SHRI K. MOHANAN: It is not at your mercy you have held these elections. It is because of Constitution.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: you think that we have won the elections in Tripura after declaring it as a disturbed area. This is not a fact. The fact is the people of Tripura wanted peace and security and they have voted for that. When you win elections in West Bengal, it is all right. When we win elections, you do not like. These arguments do not hold good at all. I want to tell in this House that we faced more elections than in the previous years. Therefore, we are not afraid of facing elections.

Mr. Vajpayee also spoke about the lack of improvement for Delhi. As against the modified plan outlay of Rs. 1042 crores in the Sixth Plan we have given to Delhi during the Seventh Plan an Outlay of Rs. 2000 crores. While the Seventh Plan was approved at Rs. 2000 crores, the Delhi administration has persuaded the Central Government to grant special Central assistance for new power generation schemes to the extent of Rs. 280 crores thereby stepping the plan size to Rs. 2280 crores. So for Delhi we have given Rs. 2280 crores. This is the total outlay for the Seventh Plan. Because of power deficit in Delhi, we have given a separate power station consisting of six gas turbines of 30 MW each which were installed within a record time of 1½ years, at a cost of Rs. 87 crores thereby providing additional 180 megawatts power to Delhi. The Administration has made concerted efforts to implement the power project at Rajghat Thermal Station which is expected to be completed in 1988-89 and will generate 135 megawatts power. Shri Vajpayee was speaking about allocations to Tripura because it is a State. Tripura is a State but look at the allocation to Delhi. The plan outlay for 1986-87 was Rs. 483 crores for Delhi. The Tripura State had Rs. 81 crores. Delhi has never been neglected. Delhi is getting all the attention of the Central Government. Therefore, why should we be afraid of facing the elections in Delhi? I do not understand it. We had bye-election to Lok Sabha in Delhi. What happened? Our Congress party won. This is a very recent example. I hope this must be fresh in their memory. We have also announced that in respect of delegated power, as against Rs. 50 lakhs, we have increased it to Rs. 5 crores. Now the Delhi Administrator can spend up to Rs. 5 crores because difficulties were experienced by them in this regard.

Having regard to the upliftment of economically weaker sections of the society, we are giving more funds. Now the administration has decided to earmark Rs. 140 crores within the annual plan 1987-88 on various schemes such as improvement of slums, provision of development plans, improvement of resettlement of colonies, provision of loans for SCs and STs, em-

ployment to the landless and allotment of house-sites and distribution of surplus land in Delhi itself to the weaker sections. There is a question of leasehold and freehold land. We are thinging about it because this is the demand of the people and we are trying to make it freehold. A massive project for the construction of the toilet complexes in slum areas is being launched by the Slum Department and 350 autorickshaws were distributed to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people in Delhi itself. Now more bridges are being constructed. We are acquiring 3702 acres of land at Papankalan and an additional amount of Rs. 80 crores was provided in the supplementary demands for the year 1986-87. This land would be allotted to the Group Housing Societies. Therefore, from whichever side we see, you will find that we are not afraid of facing any election in Delhi. This is only to give very efficient and cohesive administrative set-up, to see that the sufferings of the people of Delhi are lessened. We are always with the masses and the masses are always with the Congress and we are quite sure, whenever election comes, Mr. Vajpayee will also see that the Congress will come out with flying colours in Delhi itself.

With these words, Madam, I commend the Bills for the consideration of the House.

The questions were proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now the resolutions and the motions for considerations of the Bills are now open for discussion.

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE (West Bengal): Madam, Deputy Chairman, I stand to oppose both the Ordinances regarding Delhi Municipal Corporation and Delhi Metropolitan Council. As a matter of fact, the people of Delhi are demanding Statehood since long and it was the electoral promise of the Congress (I) Government and as Mr. Vajpayee has already pointed out very correctly, Delhi does fulfil all the necessary factors required for Statehood regarding population, area, financial allotment and all this. There is no reason why there should not be an Assembly and why Delhi should not be granted Statehood. But the Government has already taken away the fundamental rights of the people. It is the fundamental right granted in our Constitution that people should be allowed to have their elections to have their own elected representatives and have suitable administration of their own but they are being deprived of this fundamental right because the Congress ruling party now wants to continue their own rule over this Delhi Municipal Body. Now the Delhi Metropolitan Council was elected in February, 1983 for five years and election was due in February, 1988. But, by this Ordinance, the Central Government has taken the power to extend the term of the existing Council. The term of the Delhi Municipal Corporation was only for four years and the term expired in March 1987. They extended the term by one year each time for three years.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now the House stands adjourned for lunch and will meet again at 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at thirty-one minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-five minutes past two of the clock, THE VICE CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) in the Chair.

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: What I was saying was, Mr. Vice-Chairman, Sir, that just at the time when elections were due to be held to the Delhi Municipal Corporation and the Delhi Metropolitan Council, the Government brought forward these Ordinances and postponed the elections on the plea that the entire issue would be referred to the Sarkaria Committee which would go into the question of the multiplicity of authorities for Delhi and suggest a cohesive administrative structure for Delhi as the honourable Minister has just now mentioned. But the terms of reference, as mentioned by the honourable Minister, are very vague. Anyway, after that nothing has come out of that. All I want to say is that the Cong-

[Smt. Kanak Mukherjee]

ress (I) is so much afraid of the people and is so much afraid of facing the elections. But the spirit of the Constitution is this that the people have their fundamental right to elect their own representatives and have their own administration. We have also seen that they are afraid of holding elections not only in the States, but also for certain seats in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. You see, one of our Members, Shri Ramakrishna Mazumder, died last year. After that, they have not held the election to elect a Member in his place and it is because of the fact that one Member would be added to the Opposition benches. Then, there are about 12 seats vacant in the Lok Sabha. They are not holding the election and they are not facing the election. In Bihar, what have they done? What is happening in the Congress (I)-ruled States? They have postponed by an Ordinance the panchayat elections there. You see, in Punjab, they have dissolved the Assembly just recently. Why? It is because the Rajya Sabha elections are due now and the Opposition Members will come to the Rajya Sabha from that State. Even in Tripura, what did they do? Just after the recent election—by what means you came to power there, I know and you also know —they immediately dissolved the Agartala Municipality and they have appointed Administrators there. They have seized the powers of the elected bodies of Panchayats and they are giving these powers to the bureaucrats and their own party people. What have they done to the University and College bodies? They have done the same thing there also. They have dissolved the elected Councils and they want nomination of the bureaucrats, appointment of bureaucrats. They do not believe in elections, either within their party or outside. It is needless to say that there is no election process and there is no democracy inside the Congress (I) Party. Everybody knows this and they themselves know it. They simply appoint General Secretaries and Chief Ministers. But, so far as our Constitution is concerned, ours is a federal set-up based on the principle of adult franchise. But the Congress (I) Government at the Centre does not believe in elections. They are afraid of facing the people. That is why they are taking away this power, the fundamental right, from the people of electing their own representatives. Now, what is the actual fact here in Delhi now? In both the bodies, that is, the Delhi Municipal Corporation and the Delhi Metropolitan Council, just by chance the Congress (I) is in a majority. Now, they are afraid that if there is a fair election, they would not, the Congress (I) may not, win the election. That is why, with this political motive, they are just going on postponing the elections to these two bodies. The Congress (I) Government at the Centre is depriving the people of their fundamental right of election and this is against the fundamental rights of the people. This is against the norms of democracy, this is against the spirit of the Constitution, and, therefore, we have to oppose both these Ordinances.

With these few words, Sir, I again oppose the proposal of the Government and these two Ordinances. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now, Mr. Siddiqui.

श्री शमीम अहमद सिद्दीकी (दिल्ली) : जनाब, उपसभाध्यक्ष साहब, मैं सरकार की तरफ से जो दो बिल म्युनिसिपल कार्पोरेशन और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आये हैं, उनका स्वागत करता हूं।

यह बात जैसाकि अभी हमारे दो अपोजीशन के नेताओं ने बताई कि दिल्ली के अन्दर म्युनिसिपल कार्पोरेशन, डी. डी. ए., नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी, कैंट, डेसू, दिल्ली ट्रांसपोर्ट ये मुख्तलिफ कमेटियां आपस में अधिक तालमेल न होने की वजह से दिल्ली की जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। दिल्ली के इलैक्शन के मौके पर कांग्रेस के मैनीफैस्टो के अन्दर यह बात काफी वजाहत के साथ थी कि हम दिल्ली को एक ऐसा ढांचा दिलवायेंगे दिल्ली को असेंबली दिलाने के लिए कोशिश करेंगे जिसमें इन

सब चीजों को एक जगह पर करके और उनके मसाइल को हल करने की तरफ जो इकदामात हों और उसको मजबूती मिले उसकी तरफ दिए जायेंगे। यहां पर इस बात के लिए अटल विहारी जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार इलैक्शन से घबराती है। मैं इस बात का खंडन करता हूं और इस बात को करता हूं कि कांग्रेस कभी भी किसी जगह भी इलैक्शन करवाने से नहीं घबराती क्योंकि कांग्रेस का विश्वास है कि मुल्क में जम्हूरियत को तकवीयत देने के लिए उसने हर मौके के ऊपर इलैक्शन कराने से गुरेज नहीं किया और आज यह बात कही जाए कि ये दो बिल लाए गए हैं, इन बिल का कारण यह है कि कांग्रेस इलैक्शन करवाने से घबराती थी, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि साढे चार साल के अर्से के अन्दर दिल्ली के अन्दर दो बाय-इलैक्शन हुए और उन बाय-इलैक्शन के अन्दर कांग्रेस भारी अकसरियत से कामयाब हुई और इस दौरान के अन्दर अवाम का फतवा हमारे हक में आया। आज असेंबली की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जब भारत सरकार ने दिल्ली को असेंबली दी थी तो हमारे जनसंघ के भाइयों ने सब से पहले कहा था कि दिल्ली की असेंबली को खत्म कर दिया जाए और उस वक्त असेंबली खत्म हुई। उसके बाद जब जनता सरकार आई तो दिल्ली के अवाम से इन्होंने वायदा किया कि हम जनता सरकार की तरफ से असेंबली देंगे। मुझे अफसोस है इस बात का कि जब इस हाउस के अन्दर लंगड़ी-लूली असेंबली का बिल लेकर आये तो इस हाउस के अन्दर कोरम भी पूरा नहीं था और बिल पेश नहीं हो सका। आज दिल्ली के अवाम का देरीना मुतालवा दिल्ली के कांग्रेसियों का मुतालवा जिस वायदे को हमने दिल्ली के अवाम के सामने रखा था हमने हकूमत पर जोर दिया कि दिल्ली वालों को एक ऐसी असेंबली मिलनी चाहिए जो पूरी पावरफुल हो, उसका मंत्रिमण्डल हो और हमारी जो डिपार्टमेंट हैं उनको एक जगह लाकर के और उसकी ताकत असेंबली और मंत्रिमण्डल में दी जाए। मैं हकूमत को मुबारकवाद देना चाहूंगा, प्रधान मंत्री को मुबारकवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उन कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मैनीफैस्टो की रोशनी के अन्दर हकूमत की तरफ से एक कमीशन मुकर्रर कराइए और कमीशन मुकर्रर करने के लिए इस बात का कहा गया कि दिल्ली को जो ढाचा दिया जाए उसमें वह कौन-कौन से सुधार की बातें हो सकती हैं, क्या हम दिल्ली को असेंबली दे सकते हैं और असेंबली हो तो उसकी ताकत कितनी होगी, उस बुनियाद के ऊपर वह रिपोर्ट देगी और उसके बाद हमारी सरकार जो भी फैसला करेगी असेंबली की ताकत का और दिल्ली के अन्दर चुनाव होंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि 1983 से पहले 18 साल दिल्ली के अन्दर जनसंघ की सरकार रही और दिल्ली की सरकार के अन्दर 18 साल के अन्दर अगर कार्पोरेशन के रिकार्ड को उठाकर देखा जाए तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि 18 साल के शासन के अन्दर सिवाय अपनी जनसंघ पार्टी की मजबूती के पब्लिक के कामों के अन्दर कोई भी ऐसे इकदामात नहीं उठाए गए जिससे दिल्ली के अवाम को फायदा पहुंचता हो। आज अब साढे चार साल के अन्दर दिल्ली के अन्दर वह काम हुए कि इससे पहले दिल्ली के अन्दर अवाम की फलाह-व-बहबूदी के लिए वह काम नहीं हुए। बाज काम तो ऐसे हुए कि जिसको मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के अन्दर वह काम नहीं हुए जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल कारपोरेशन ने किए। मैं आपके सामने, 1984 में दिल्ली के अवाम ने कांग्रेस को इक्तदार सौंपा और साढे चार साल में कांग्रेस ने ऐसे-ऐसे काम किए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको बताना चाहूंगा उनके दो-तीन काम मैं आपके सामने गिनाना चाहूंगा। अगर मुझे चेयरमैन साहब तफसीलात के साथ टाइम दें तो मैं आपको वह-वह काम बता सकता हूं, शायद डेढ दो घण्टों में भी मैं पूरा न कर सकूं। टाइम का ख्याल रखते हुए मैं सिर्फ दो-तीन बातों की तरफ तवज्जुह दिलाना चाहूंगा।

[श्री शमीम अहमद सिद्दीकी]

पहला काम दिल्ली के अन्दर दिल्ली में गंदगी के ढेर से ईंधन के बतौर गैस बनाने का शुरू किया गया और इसमें कामयाबी हासिल की। दिल्ली एशिया का पहला शहर है जहां पर बैटरी से चलने वाली बसें चलाई गई और जो धुंआ और आलूदगी पैदा होती थी, जिससे शहरियों की सेहत पर असर पड़ता था, इन बैटरियों की बसों को चलाकर उसे दूर करने की कोशिश की। पहली बार खेती-बाड़ी से बच जाने वाली घास-फूस से दिल्ली का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। दिल्ली पहला शहर है, जहां कि पहियों के बाजार की शुरूआत की गई और आज दिल्ली के अंदर 100 ट्रकों के अंदर जरूरियाते-जिंदगी की वह चीजें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूर-दराज कालोनियों के अंदर सस्ते दामों पर बेची जाती हैं। यह सब हमने इन चार सालों के अन्दर किया। 600 झुग्गी-झोपड़ियों की कालोनियों के अंदर ऐसे गुसलखाने, पाखाने बनवाए गए, जिनमें ट्यूबवेल से पानी सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा गुजिस्तां चार साल के अंदर 57 बारातघर और 6 रैन-बसेरे तीन-मंजिला बनाए गए, उनमें तमाम मॉडर्न फेसलिटीज हमने दीं और कारोबारी-मैदान के अन्दर औरतों की हौसला-अफजाई के लिए इण्डस्ट्रियल प्लॉटों और प्लाटों को मुकर्रर किया गया। इस तरह की सहूलियतें दुनियां के किसी मुल्क के अन्दर महिलाओं को नहीं दी जातीं, जो दिल्ली शहर के अन्दर दी जाती हैं। दिल्ली पहला शहर है, जहां खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए 90 परसेंट बच्चों को टीके लगाए गए, जिससे हमारे बच्चे परवरिश पाकर इन मोहलिक बीमारियों से बचें। इसके अलावा आजाद-पुर मार्केट को तीस एकड़ जमीन के अंदर और फैला दिया गया, जिससे एशिया की सबसे बड़ी मण्डी आजादपुर मार्केट बनी। पुराने शहर की सड़कों की मरम्मत के लिए और सफाई के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पहली बार 419 हरिजन बस्तियों में पानी पहुंचाया गया, जिससे लाखों हमारे हरिजन भाइयों को पानी पहुंचा। दिल्ली सारे मुल्क के अन्दर पहला शहर है, जहां सन् 1984 में मोटर सिखाने के लिए एक कॉलेज खोला गया, एक स्कूल खोला गया, जिसमें तमाम मोडर्न फेसलिटीज मुहैया कराई गई और नए कार सीखने वालों को वहां ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा जब सरकारिया कमीशन मरकजी-हुकूमत हम दिल्ली वालों को देना चाहती है, दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालो की नही है, पूरे हिन्दुस्तान की है और जो यह प्रोजेक्ट हमारे यहां शुरू किए गए, जो हमारे यहां काम किए गए, उनके लिए मैं दिल्ली के शहरियों की तरफ से प्रधानमंत्री और मकजी-हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि उन्होने दिल्ली को बनाने के लिए हर किस्म की मसायल का तदारूक किया, चाहे प्लानिग का मसला हो, चाहे जो मसला हो उसके लिए भरपूर काम किया। दिल्ली की तमाम आवाम इसके लिए उनकी शुक्रगुजार है क्योंकि दिल्ली वाले समझते हैं कि दिल्ली सिर्फ हमारा ही हक नहीं है, पूरे हिन्दुस्तान का हक है।

अब जो शानदार बजट आया। उसका न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिन्दुस्तान से मर्कजी हुकूमत को मुबारकबाद मिली। आज जरूरत तो इस बात की थी कि हमारे अपोजीशन के भाई उसका समर्थन करते और यहां पर इस बात का मुतालवा करते कि दिल्ली के अन्दर दिल्ली वालों को एक बाइख्तियार असेम्बली दी जाय और साथ ही दिल्ली के अन्दर जो साढे चार साल के अन्दर जो प्रोग्राम चले, जो अस्पताल बने, यह मामूली काम नहीं है कि दो अस्पताल बनाए गए, जो पुराने अस्पताल थे उनको सुधार करके उनके अंदर बिस्तर बढ़ाए गए। इसी तरीके से स्कूलों का मसला ले लीजिए। मैं आपके सामने अब एक मामूली सा वाक्या रखूंगा। बावजूद इसके कि हमारी बड़ी कठिनाई है, हमें एक काम के लिए चार-चार मंत्रियों का सहारा लेना पड़ता है, मगर कुछ पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस वक्त है और आज जो दिक्कत-परेशानियां आती हैं, हमने पुराने शहर के लिए स्कूलों का निर्माण किया और अभी दो रोज हुए, एक बिल्डिंग भी चश्मा-बिल्डिंग

स्कूल है, मात्र 72 लाख रुपए से तीन-मंजिला ईमारत उर्दू मीडियम स्कूल के लिए बनने जा रही है। इस बात की रोशनी के अन्दर मैं इन दोनों बिलों का स्वागत करता हूं क्योंकि कांग्रेस का विश्वास है कि गरीबों के हित के लिए, आवाम की फलाह-व-बेहबूद के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो उसके लिए पूरी पार्टी चाहे वह दिल्ली वाले हों—पूरे मुल्क का कांग्रेसी साथ देता है। इन अल्फाज के साथ मैं इन दोनों बिलों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दिल्ली में जो काम हुए हैं, उन कामों की सराहना की जाएगी और आने वाली वक्त के अन्दर मैं मरकजी हुकूमत से मतालबा करूंगा कि जो एसेंबली हम को दी जाय उसका एक मंत्रिमण्डल हो ताकि जो समय हमें 45 मिनिस्ट्रियों में लगता है, वहां सिर्फ अपने सेक्रेटेरिएट ण बैठकर हम अपनी मुश्किलों को हल कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं धन्यवाद।

†[شری شمیم احمد صدیقی (دہلی)]

:— جناب اپ سبھا ادھیکش - صاحب میں سرکار کی طرف سے جو دو بل میونسپل کارپوریشن اور دلی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں آئے ہیں - ان کا سواگت کرتا ہوں -

یہ بات جیسا کہ ابھی ہمارے دو اپوزیشن نیتاؤں نے بتائی کہ دلی کے اندر میونسپل کارپوریشن - ٹی-ٹی-اے نگر دلی میونسپل کمیٹی کینٹ - ڈیفنس - دلی ٹرانسپورٹ یہ مختلف کمیٹیاں آپس میں زیادہ تال میل نہ ہونے کی وجہ سے دلی کی جنتا کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا تھا - دلی کے الیکشن کے موقع پر کانگریس کے مینی فیسٹو کے اندر یہ بات کافی وضاحت کے ساتھ تھی - کہ ہم دلی کو ایسا ڈھانچہ دلوائینگے دلی کو اسمبلی دلانے کیلئے کوشش کرینگے - جس میں ان سب چیزوں کو ایک جگہ کرکے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف جو اقدامات ہوں او اسکو مضبوطی ملے - اس کی طرف دئے جائینگے - جہاں پر اس بات کے لئے اٹل بہاری جی نے کہا کہ کانگریس سرکار الیکشن سے گھبراتی ہے - میں اس بات کا کھنڈن کرتا ہوں - اور اس بات کو کہتا ہوں کہ کانگریس کبھی بھی کسی جگہ بھی الیکشن سے نہیں گھبراتی ہے - کیونکہ کانگریس کا وشواس ہے کہ ملک میں جمہوریت کو تقویت دینے کے لئے اس نے ہر موقع کے اوپر الیکشن کرانے سے گریز نہیں کیا - اور آج یہ بات کہی جائے کہ یہ دو بل لائے گئے ہیں ان بل کا کارن یہ ہے کہ کانگریس الیکشن کروانے سے گھبراتی تھی - تو میں یہ کہنا چاہونگا کہ سارے چار سال کے عرصہ کے اندر دلی کے اندر دو بائے الیکشن ہوئے - اور ان بائے الیکشن کے اندر کانگریس بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی اور اس دوران عوام کا فتوی ہمارے حق میں آیا - آج اسمبلی کی بات کرتے ہیں - میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھارت سرکار نے دلی کو

†[ ]Transliteration in Arabic script.

[شری سید احمد صدیقی]

اسمبلی دی تھی تو ہمارے جن سنگھ کے بھائیوں نے سب سے پہلے کہا تھا - کہ دلی کی اسمبلی کو ختم کردیا جائے اور اس وقت اسمبلی ختم ہوئی- اس کے بعد جب جنتا سرکار آئی تو دلی کے عوام سے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جنتا سرکار کی طرف سے اسمبلی دینگے- مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب اس ہاؤس کے اندر لنگڑی لولی اسمبلی کا بل لیکر آئے تو اس ہاؤس میں "کورم" بھی پورا نہیں تھا- اور بل پیش نہیں ہو سکا - آج دلی کے عوام کا دیرینہ مطالبہ دلی کے کانگریسیوں کا مطالبہ جس وعدے کو ہم نے دلی کے عوام کے سامنے رکھا تھا ہم نے حکومت پر زور دیا کہ دلی والوں کو ایک ایسی اسمبلی ملنی چاہئیے جو پوری پاور فل ہو اسکا منتری منڈل ہو اور ہماری جو ڈیمانڈ ہے ان کو ایک جگہ کرکے اسکی پوری طاقت اسمبلی اور منتری منڈل میں دی جائے - میں حکومت کو مبارکباد دینا چاہونگا - وزیراعظم کو مبارکباد دینا چاہونگا کہ انہوں نے ان کانگریس کاریکرتاؤں اور دلی پردیش کانگریس کمیٹی مینی فیسٹو کی روشنی کے اندر حکومت کی طرف سے ایک کمیشن مقرر کرایئے اور کمیشن مقرر کرنے کیلئے اس بات کو کہا گیا کہ دلی کو جو ڈھانچہ دیا جائے اسمیں وہ کون کون سے سدھار کی باتیں ہو سکتی ہیں - کیا ہم دلی کو اسمبلی دے سکتے ہیں - اور اسمبلی ہو تو اسکی طاقت کتنی ہوگی - اس بنیاد کے اوپر وہ رپورٹ دیگی اور اسکے بعد ہماری سرکار جو بھی فیصلہ کریگی اسمبلی کی طاقت کا اور دلی کے اندر چناؤ ہونگے - آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنہ ۱۹۸۳ء سے پہلے ۱۸ سال دلی کے اندر جن سنگھ کی سرکار رہی اور دلی کی آسوتراکے اندر ۱۸ سال کے اندر اگر کارپوریشن کے ریکارڈ اٹھاکر دیکھا جائے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ۱۸ سال کے شاسن کے اندر سوائے اپنی جن سنگھ پارٹی کی مضبوطی کے پبلک کے کاموں کے اندر کوئی بھی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں جس سے دلی کے عوام کو فائدہ پہنچتا ہو - آج اب ساڑھے چار سال کے اندر دلی کے اندر وہ کام ہوئے کہ اس سے پہلے دلی کے اندر عوام کی فلاح و بہبودی کیلئے وہ کام نہیں ہوئے- بعض کام تو ایسے ہوئے کہ جسکو میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں کے اندر وہ کام نہیں ہوئے - جو دلی ایڈمنسٹریشن اور میونسپل کارپوریشن نے کئے - میں آپ کے سامنے ۱۹۸۴ میں دلی کے عوام نے کانگریس کو اقتدار سونپا

کے اندر کیا - ۴۰۰ جھگی جھونپڑیوں کی کا کالونیوں کے اندر ایسے غسل خانے پاخانے بنوائے گئے جنمیں ٹیوب ویل سے پانی سپلائی کیا جاتا ہے - اسکے علاوہ گزشتہ چار سال کے اندر ستاون بارات گھر - اور چھ رین بسیرے تین منزلہ بنائے گئے انمیں تمام ماڈرن سہولیات ہم نے دیں - اور کاروباری میدان میں کے اندر عورتوں کی حوصلہ افزائی کیلئے انڈسٹریل فلیٹوں اور پلاٹوں کو مقرر کیا گیا - اس طرح کی سہولیات دنیا کے کسی ملک کے اندر عورتوں کو نہیں دی جاتیں جو دلی شہر کے اندر دی جاتی ہیں - دلی پہلا شہر ہے جہاں خطرناک بیماریوں سے بچانے کیلئے نوے پرسینٹ بچوں کے ٹیکے لگائے گئے - جس سے ہمارے بچے پرورش پاکر ان مہلک بیماریوں سے بچیں - اسکے علاوہ آزاد پور مارکیٹ کو تیس ایکڑ زمین کے اندر اور پھیلا دیا گیا جس سے ایشیا کی سب سے بڑی منڈی آزاد پور مارکیٹ بنی - پرانے شہر کی سڑکوں کی مرمت کے لئے اور صفائی کے لئے دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپئے خرچ کئے جا رہے ہیں - پہلی بار چار سو انیس ہریجن بستیوں میں پانی پہنچایا گیا - جس سے لاکھوں ہمارے ہریجن بھائیوں کو پانی پہنچا - دلی سارے ملک کے اندر پہلا شہر ہے - جہاں سن ۱۹۸۶ میں موٹر سکھانے کے لئے ایک کالج کھولا گیا - ایک

اور ساڑھے چار سال میں کانگریس نے ایسے ایسے کام کئے جسکی مثال نہیں ملتی - میں آپکو بتانا چاہونگا - ان کے دو تین کام میں آپ کے سامنے بتانا چاہونگا - اگر مجھے چیرمین صاحب تفصیلات کے ساتھ ٹائم دیں تو میں آپ کو وہ وہ کام بتا سکتا ہوں - شاید ڈیڑھ دو گھنٹوں میں بھی پورا نہ کر سکوں - ٹائم خیال رکھتے ہوئے میں صرف دو تین باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہونگا -

پہلا کام دلی کے اندر دلی میں گندگی کے ڈھیر سے ایندھن کے بطور گیس بنانے کا کام شروع کیا گیا اور اسمیں کامیابی حاصل کی - دلی ایشیا کا پہلا شہر ہے جہاں پر بیٹری سے چلنے والی بسیں چلائی گئیں - اور جو دھواں اور آلودگی پیدا ہوتی تھی جس سے شہروں کی صحت پر برا اثر پڑتا تھا - ان بیٹریوں کی بسیں چلاکر اسے دور کرنے کی کوشش کی پہلی بار کھیتی باڑی سے بچ جانے والی گھاس پھونس سے بجلی کا پروجیکٹ شروع کیا گیا - دلی پہلا شہر ہے - جہاں کہ پہیوں کے بازار کی شروعات کی گئی - اور آج دلی کے اندر سو ٹرکوں کے اندر ضروریات زندگی وہ چیزیں شہر کے مختلف علاقوں میں دور دراز کالونیوں کے اندر سستے داموں پر بیچی جاتی ہیں - یہ سب ہم نے ان چار سالوں

ساڑھے چار سال کے اندر جو پروگرام چلے- جو اسپتال بنے یہ معمولی کام نہیں ہے کہ دو اسپتال بنائے گئے - دو پرانے اسپتال تھے- ان کو سدھار کرکے اسکے کاندر بستر بڑھائے گئے- اسی طریقے سے اسکولوں کا مسئلہ لے لیجئے- میں آپکے سامنے ایک معمولی سے واقعہ رکھونگا - باوجود اسکے کہ ہماری بڑی کٹھنائی ہے ہمیں ایک کام کیلئے چار چار منتریوں کا سہارا لینا پڑتا ہے - مگر کچھ پاور لیفٹیننٹ گورنر کو اس وقت ہے - اور آج جو وقت پریشانیاں آتی ہیں - ہم نے پرانے شہر کے لئے اسکولوں کا نرمان کیا - اور ابھی دو روز ہوئے ایک بلڈنگ تھی - چشمہ بلڈنگ اسکول ہے صرف بہتر لاکھ روپئے سے تین منزلہ عمارت اردو میڈیم اسکول کیلئے بنائے جا رہی ہے- اس بات کی روشنی کے اندر میں ان دونوں بلوں کا سواگت کرتا ہوں کیونکہ کانگریس کا وشواس ہے کہ غریبوں کی ہمت کیلئے - عوام کی فلاح و بہبود کیلئے - دیش کی ایکتا اکھنڈتا کیلئے جو کوئی کام کیا جاتا ہے - تو اسکے لئے پوری پارٹی چاہے وہ دلی والے ہوں - پورے ملک کا کانگریس ساتھ دیتا ہے- ان الفاظ کے ساتھ میں ان دونوں بلوں کا سواگت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ دلی میں جو کام ہوئے ہیں - ان کاموں کی سراہنا کی جائیگی -

[شری شبیہ احمد صدیقی]

اسکول کھولا گیا - جس میں تمام ماڈرن فیسیلٹیز مہیا کرائی گئیں - اور نئے کار سیکھنے والوں کو وہاں ٹریننگ دیجاتی ہے- اس کے علاوہ جب سرکاریہ کمیشن مرکزی حکومت ہم دلی والوں کو دینا چاہتی ہے- دلی صرف دلی والوں کی نہیں ہے پورے ہندوستان کی ہے- اور جو یہ پروجیکٹ ہمارے یہاں شروع کئے گئے - جو ہمارے یہاں کام کئے گئے- ان کے لئے میں دلی کے شہریوں کی طرف سے پردھان منتری اور مرکزی حکومت کا شکرگزار ہوں - کہ انہوں نے دلی کو بنانے کے لئے ہر قسم کے مسائل کا تدارک کیا - چاہے پلاننگ کا مسئلہ ہو چاہے جو مسئلہ ہو اس کے لئے بھرپور کام کیا - دلی کی تمام عوام اس کے لئے ان کی شکرگزار ہے- کیونکہ دلی والے سمجھتے ہیں کے دلی صرف ہمارا ہی حق نہیں ہے پوری ہندوستان کا حق ہے-

اب جو شاندار بجٹ آیا اس کے لئے نہ صرف دلی بلکہ پورے ہندوستان سے مرکزی حکومت کو مبارکباد ملی- آج ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارے اپوزیشن کے بھائی اس کا سمرتھن کرتے اور یہاں پر اس بات کا مطالبہ کرتے کہ دلی کے اندر دلی والوں کو ایک با اختیار اسمبلی دی جائے- اور ساتھ ہی دلی کے اندر جو

اور آنے والے وقت کے اندر مرکزی حکومت میں سے مطالبہ کرونگا کہ جو اسمبلی ہم کو دی جائے اسکا ایک منتخبی منڈل ہو - تاکہ جو وقت ہمیں ۴۵ منٹوں میں لگتا ہے وہاں صرف اپنے سیکریٹیریٹ میں بیٹھکر ہم اپنی مشکلوں کو حل کو سکیں -

انہیں شبدوں کے ساتھ میں اپنی بات سماپت کرتا ہوں - دھنے واد]

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : जनाब वाइस चेयरमैन साहब, अभी मरकजी हुकूमत की तरफ से यह जो दो बिल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपल बिल, 1988 और दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन बिल, 1988 पेश किए गए हैं, उनका मैं अपनी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से पुरजोर मुखालफत करता हूं क्योंकि यह जो बिल हुकूमत की जानिब से पेश किए गए है नेकनीयती पर मुबनी नहीं हैं और सियासी हालात और सियासी मफारत को पेशे नजर रखकर ये बिल पेश किए गए हैं। इन बिलों को पेश करने का असली मतलब इन्तखाबात की इल्तजा है, इलेक्शंस का पोस्टपोनमेंट है । जहां तक कानूनसाजी का सवाल है, कानूनसाजी का हक पार्लियामेंट को है और सिर्फ पार्लियामेंट को है। आर्टिकल–123 के लिहाज से सिर्फ मख्सूस हालात में एक्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट आर्डिनेंस के जरिए कुछ चीजें जारी कर सकती है। मगर मैं यह बतलाता चलूं कि यह जो तीन डेट्स हैं इसको हमको काफी अहमियत देनी चाहिए और इन दो-तीन तवारीख पर हम रोशनी डालें तो यह बात साफ हो जाती है कि किस मकसद के तहत यह बिल लाया गया है। सबसे पहली यह चीज जनाब वाजपेयी साहब ने भी की है होम मिनिस्ट्री की कंसल्टेटिव कमेटी ने जो सवाल किया था हमारे होम मिनिस्टर साहब ने उस सवाल की रोशनी में यह वाजेह तयखुन दिया गया था कि फरवरी और मार्च के महीने में इंतखाबात किए जाएंगे और इस सिलसिले में इलेक्टोरल रोल की तैयारी तेजी के साथ हो रही है और उस वक्त तक इलेक्टोरल रोल तैयार हो जाएंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि वह क्या वजहबात हैं जो सिर्फ 14 दिनों में इतनी तब्दीली आई कि हुकूमत का जो स्टैण्ड है वहीं चेंज हो गया। दस तारीख को यह तमखुन दिया गया और 24 दिसम्बर को एक आर्डिनेंस पास किया गया : तो इन 14 दिनों में वह क्या हालात हुए ? मैं हुकूमत से यह पूछना चाहता हूं कि मल्टिप्लिसिटी आफ इंस्टीट्यूशन की जो बात है, क्या यह इंस्टीट्यूशंस उस वक्त नहीं थीं जबकि कंसल्टेटिव कमेटी में यह बात कही गयी थी ? क्या मेट्रोपोलिटन काउंसिल, म्युनिसिपल कार्पोरेशन आफ दिल्ली, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी, दिल्ली डवलपमेंट अथारिटी, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय अंडर टेकिंग, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन, दिल्ली मिल्क स्कीम क्या उस वक्त नहीं थीं ? तब यह इस्टीट्यूशन और एजेंसियां थीं तो उस वक्त भी यह बात कही जा सकती थी कि सरकारिया कमेटी कायम की जा रही है। लेकिन यह बात उस वक्त नहीं कही गयी। सिर्फ इन 14 दिनों में जो यह बात कही गयी है इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत दिल्ली में इंतखाब से गुरेज कर रही है और इंतखाब से क्यों गुरेज कर रही है यह बात मैं साफ तौर से तो नहीं कहना चाहता, लेकिन वह सभी पर वाजे है कि क्यों इससे इन्कार किया जा रहा है।

जहां तक शहरियों के राइट आफ फ्रेंचाइज का सवाल है, यह तो शहरियों का बुनियादी हक है और किसी तरह से भी शहरियों को इस हक से रोका नहीं जा सकता। जहां तक म्युनिसिपल कारपोरेशन का सवाल है, इसकी मुद्दत

[श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान]

एक साल पहले ही खत्म हो चुकी है। उसमें एक साल का एक्सटेंशन किया गया था और उस वक्त यह कहा गया था कि एक साल के बाद फरवरी, मार्च, 1988 में मैट्रोपोलिटन कौंसिल के इंतखाब होने वाले हैं इस लिये म्युनिसिपल कारपोरेशन और मैट्रोपोलिटन कौंसिल दोनों के एक साथ इंतखाब कराये जायेंगे, हालांकि म्यूनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाब उस वक्त भी कराये जा सकते थे क्योंकि उसका चार साल का पीरियड खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी एक बात समझ में आयी कि हो सकता है कि दोनों इंतखाब एक साथ कराये जाये तो जाहिर है कि कई चीजों में किफायत हो सकती है। मगर फिर अचानक उसमें और टाइम लेना, इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत नहीं चाहती कि दिल्ली में म्युनिसिपल कारपोरेशन के या मैट्रोपोलिटन कौंसिल के इंतखाब हों।

जहां तक दिल्ली को स्टेटहुड देने का सवाल है, आज दिल्ली की आबादी 80 लाख की है और एरिया के लिहाज से भी दिल्ली का एरिया काफी बढ़ा है। इसे स्टेटहुड देने का मतालबा एक जमाने से किया जा रहा है जब कि खास तौर पर इस से कम आबादी वाले इलाकों को नागालैंड है, मिजोरम है, गोआ, दमन, दीव है, उन को स्टैटहुड दी गयी है, तो दिल्ली को भी वही दर्जा दिया जाना चाहिए और स्टेटहुड देने के लिये सरकारिया कमेटी का बहाना लेकर इस सवाल को मुल्तवी करना मुनासिब नहीं मालुम होता और यह कोई डेमोक्रेटिक स्टेप भी नहीं कहलाया जायगा। इस लिए मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि वह दिल्ली में जल्द से जल्द म्यूनिसिपल कारपोरेशन और मैट्रोपोलिटन कौंसिल के इंतखाब कराये इस वजह से कि इससे तमाम जमहूरी इदारों की साख बढ़ेगी और शहरियों का हुकूमत पर एतमाद भी बहाल होगा।

इन सब चीजों को पेशेनजर रखते हुए मैं अपने मोअज्जिज वजीर साहब से अर्ज करूंगा कि वे इन बिलों को वापस ले लें और इंतखाब जो ड्यू हैं कौंसिल के और कारपोरेशन के, उनको करवाया जाय और इन अल्फाज के साथ मैं अपने नायबसदर का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

†[شری محمد خلیل الرحمان

(آندھرا پردیش) : جناب وائس چیرمین صاحب - ابھی مرکزی حکومت کی طرف سے یہ جو دو بل دلی ایڈمنسٹریشن میونسپل بل ۱۹۸۸ اور دلی میونسپل کارپوریشن بل ۱۹۸۸ پیش کئے گئے ہیں- میں اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے پرزور مخالفت کرتا ہوں- کیونکہ یہ جو بل حکومت کی جانب سے پیش کئے گئے ہیں نیک نیتی پر مبنی نہیں ہیں- اور سیاسی حالات اور سیاسی مفادات کو پیش نظر رکھکر یہ بل پیش کئے گئے ہیں- ان بلوں کو پیش کرنے کا اصلی مطلب انتخابات کا التوا الیکشن کا پوسٹ پونمنٹ ہے- جہاں تک قانون سازی کا سوال ہے قانون سازی کا حق پارلیمنٹ کو ہے- اور صرف پارلیمنٹ کو ہے آرٹیکل ۱۲۳ کے لحاظ سے صرف مخصوص حالات میں ایگزی- کیوٹیو یعنی گورنمنٹ آرڈیننس کے ذریعہ کچھ چیزیں جاری کرسکتی ہے- مگر میں یہ بتلاتا چلوں کہ یہ

†[ ]Transliteration in Arabic script.

میں یہ بات کہی گئی تھی - کیا میٹروپولیٹن کونسل میونیسپل کارپوریشن آف دلی - نیو دلی میونسپل کمیٹی دلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی - دلی الیکٹرک سپلائی انڈر ٹیکنگ - دلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن - دلی ملک اسکیم کیا اس وقت نہیں تھیں - تب یہ انسٹی ٹیوشن اور ایجنسیاں تھیں اس وقت بھی یہ بات کہی جاسکتی تھی - کہ سرکاریہ کمیٹی قائم کی جارہی ہے - لیکن یہ بات اس وقت نہیں کہی گئی - صرف ان ۱۴ دنوں میں جو یہ بات کہی گئی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت دلی میں انتخابات سے گریز کررہی ہے اور انتخابات سے کیوں گریز کررہی ہے - یہ بات میں صاف طور سے تو نہیں کہنا چاہتا - لیکن وہ سبھی پر واضح ہے کہ کیوں اس سے انکار کیا جا رہا ہے -

جہاں تک شہریوں کے رائٹ ف ریفرنڈم کا سوال ہے یہ تو شہریوں کا بنیادی حق ہے اور کسی طرح سے بھی شہریوں کو اس حق سے روکا نہیں جاسکتا - جہاں تک میونسپل کارپوریشن کا سوال ہے - اس کی مدت ایک سال پہلے ہی جو تین ڈیٹس ہیں اس کو ہم کو کافی اہمیت دینی چاہئے اور ان تواریخ پر ہم روشنی ڈالیں تو یہ بات صاف ہوجاتی ہے کہ کس مقصد کے تحت یہ بل لایا گیا ہے - سب سے پہلی یہ چیز جناب باجپئی صاحب بھی کہی ہے کہ ہوم منسٹری کی کنسلٹیٹیو کمیٹی نے جو سوال کیا تھا ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے ہے - اس سوال کی روشنی میں یہ واضح تاثر دیا گیا تھا کہ فروری اور مارچ میں کے مہینے میں انتخابات کرائے جائینگے - اور اس سلسلے میں الیکٹرورل رول کی تیاری تیزی سے ہورہی ہے - اور اس وقت تک الیکٹرول رول تیار ہوجائینگے - اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جو صرف ۱۴ دنوں میں اتنی تبدیلی آئی کہ حکومت کا جو اسٹینڈ ہے وہی چینج ہوگیا - دس تاریخ کو یہ تعین دیا گیا - اور ۲۴ دسمبر کو ایک آرڈیننس پاس کیا گیا - تو ان ۱۴ دنوں میں وہ کیا حالات ہوئے - میں حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملٹی پلیسٹی آف انسٹی ٹیوشن کی جو بات ہے کیا وہ انسٹی ٹیوشن اس وقت نہیں تھی جبکہ کنسلٹیٹیو کمیٹی

[شری شمیم احمد صدیقی]

ختم ہوچکی ہے۔ اس میں ایک سال کا ایکسٹینشن کیا گیا تھا۔ اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ایک سال بعد فروری، مارچ ۱۹۸۸ میں میٹروپولیٹن کاؤنسل کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس لئے میونسپل کارپوریشن اور میٹروپولیٹن کونسل دونوں کے ایک ساتھ انتخابات کرائے جائیں گے۔ حالانکہ میونسپل کارپوریشن کے انتخابات اس وقت بھی کرائے جاسکتے تھے۔ کیونکہ اس کا چار سال کا پیریڈ ختم ہوچکا تھا۔ لیکن پھر بھی ایک بات سمجھ میں آتی کہ ہوسکتا ہے کہ دونوں انتخابات ایک ساتھ کرائے جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ کئی چیزوں کی کفایت ہوسکتی ہے۔ مگر پھر اچانک اس میں اور ٹائم لیا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ دلی میں میونسپل کارپوریشن کے یا میٹروپولیٹن کاؤنسل کے انتخابات ہوں۔

جہاں تک دلی کو اسٹیٹ ہڈ دینے کا سوال ہے آج دلی کی آبادی اسسی لاکھ کی ہے۔ اور ایریا کے لحاظ سے بھی دلی کا ایریا کافی بڑا ہے۔* اس سے اسٹیٹ ہڈ دینے کا مطالبہ ایک زمانہ سے کیا جارہا ہے۔ جب کہ خاص طور پر اس سے کم آبادی والے علاقوں کو ناگالینڈ ہے میزورم ہے۔ گوا۔ دمن۔ دیو۔ ہے۔ انکو اسٹیٹ ہڈ دی گئی ہے تو دلی کو بھی وہی درجہ دیا جانا چاہئے۔ اور صرف اسٹیٹ ہڈ دینے کے لئے سرکاریہ کمیٹی کا بہانہ لیکر اس سوال کو ملتوی کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور یہ کوئی ڈیموکریٹک اسٹیپ بھی نہیں کہلایا جائیگا۔ اس لئے میں حکومت سے درخواست کرونگا کہ وہ دلی میں جلد سے جلد میونسپل کارپوریشن اور میٹروپولیٹن کاؤنسل کے انتخاب کرائے اس وجہ سے کیونکہ اس سے تمام جمہوری اداروں کی ساکھ بڑھیگی۔ اور شہریوں کا حکومت پر اعتماد بھی بحال ہوگا۔

ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنے معزز وزیر صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ ان بلوں کو واپس لے لیں اور انتخاب جو ڈیو ہیں۔ کاؤنسل کے اور کارپوریشن کے انکو کرایا جائے اور ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے نائب صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔]

3.00 P.M.

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन संशोधन विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत किए गए हैं, उन पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा और श्रीमती कनक मुकर्जी तथा खलील उर-रहमान साहब ने कहा, उन सब का एक ही मुद्दा रहा कि दिल्ली में ऐसेम्बली दो लेकिन दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक को वापस ले लो। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस समय ऐसेम्बली कहां है दिल्ली में ?

श्री राम चन्द्र विकल : आपको इसमें सन्देह है। लेकिन जो कमेटी बनी है, सरकारिया कमेटी बनी है, वह तीन महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी। उसमें कोई रिजल्ट अच्छा आए, ऐसी हमें भी आशा है। जो नया मुद्दा उठाया गया है विपक्ष की तरफ से उसमें कहा गया है कि हम चुनाव से डर रहे हैं। कनक मुकर्जी ने तो यहां तक कहा कि पंचायत से लेकर राज्य सभा तक के चुनाव नहीं कराते हैं जो कि एक अतिशयोक्ति है, वास्तविकता नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली में क्यों नहीं करवाए ?

श्री राम चन्द्र विकल : दिल्ली में तो इसलिए नहीं करवाए कि अगर ऐसेम्बली बन जाए तो अच्छा रहेगा और दोनों के चुनाव एक साथ हो जाएंगे। पाणिग्रही जी ने भी इसकी सफाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि मेघालय में, त्रिपुरा में हमने चुनाव करवाए और शायद केरल में भी करवाए और तमिलनाडू में भी शायद कराने पड़ जाएं। तो चुनावों से डरने वाली बात का कुछ तथ्य समझ में नहीं आया। डेमोक्रेसी में रहने वाला कोई भी दल क्यों न हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो या रूलिंग पार्टी, चुनाव तो करवाने ही पड़ते हैं। हमारे यहां कहावत है—सिर दिया ओखली में तो मूसली से क्या डरना। जब हमें डेमोक्रेसी में रहना है तो चुनाव तो करवाने होंगे, जब सरकारिया कमेटी बनी है और मैं आशा करता हूं कि यहां पर ऐसेम्बली दी जाएगी क्योंकि यह मांग बहुत ही पुरानी है। दिल्ली में जमना वैस्टर्न उत्तर प्रदेश व हरियाणा का कुछ इलाका मिलाकर उसे बड़ा बनाने की मांग जब फजल अली कमीशन बना था, उस समय राज्यों के सीमा निर्धारण के लिए, उनके पुनर्गठन के लिए काम हो रहा था, उस समय भी दिल्ली को बड़ा राज्य बनाने की मांग थी जो कि बहुत सही थी। मैं तो आज भी इसके हक में हूं कि दिल्ली में जो ऐसेम्बली बने वह बड़ी बने। अभी हमारे यहां उत्तर प्रदेश के पहाड़ी एरिया के लिए अलग राज्य बनाने की मांग है, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो देश की वर्तमान हालात है उसे देखते हुए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी पहले भूल हो गई, वह न दोहराई जाए। हमने भाषावार प्रान्तों का निर्माण करके एक बड़ी भूल की। मैं तो आज भी इस राय का हूं कि चंडीगढ़ को राजधानी बनाकर उसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए तो जो पंजाब की छोटी मोटी समस्या है, वह दूर हो जाएगी। हमारी जो त्रुटि पहले थी, उसको हम ठीक कर सकते हैं। जब चंडीगढ़ बना तो यह सोचकर बना कि यहां पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की राजधानी होगी। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इतने छोटे सूबे बनेंगे इस तरह की मनोकामना हमारे नेताओं की उस समय नहीं थी। आज के हालात हमें फिर विवश कर रहे हैं कि पंजाब की समस्या को हल करना हो तो हमें प्रशासनिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए, न कि भाषावार राज्यों का। आज जहां भी कोई समस्याएं उठा रहीं है, पहाड़ी राज्य की मांग बड़ी तेजी से उठ रही है, भले ही सरकार उसको न समझे, मगर मैं तो जमीन पर

[श्री राम चन्द्र विकल]

घूमता हूं, पब्लिक में रहता हूं और अनुभव करता हूं कि लोगों की भावनाएं जाति, भाषा के नाम पर बनाने की नहीं है। मगर हमें देश की एकता और अखंडता के लिए उसका सुधार कर लें, अपनी उन भूलों का सुधार कर ले. दिल्ली भी उसी तरह की एक भूल है। हमारे भाई यह कह रहे थे कि जनसंघ के कहने से एसेम्बली तोड़ दी, यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

श्री शमीम अहमद सिद्दीकी : मैंने यह नहीं कहा था। असेम्बली तोड़ने की मांग थी उस वक्त।

श्री राम चन्द्र विकल : मैं असलियत जानता हूं कि इसका कारण कुछ और था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तो अन्दर की बात जानते हैं।

श्री राम चन्द्र विकल : यह किसी की मांग से नहीं टूटी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम मांग करते तो शायद नहीं टूटती।

श्री राम चन्द्र विकल : मैंने कभी राजनीतिक सवाल नहीं बनाया और न आज मैं मानता हूं। बहुत से सवाल देश के सामने ऐसे हैं जिन पर सब पार्टियां एक मत की हैं। इस समय दिल्ली को असेम्बली देने की बात पर मैं समझता हूं सारी पार्टियों की मांग है इस वक्त। किसी एक पार्टी की मांग नहीं है। यह जो चुनाव से डरने की बात अटल जी ने कही यह ठीक नहीं है। यह जो कमेटी बैठाई गयी है इसको तीन महीने की अवधि दी गयी है। और कितने निगम है इसके बारे में पाणिग्रही जी ने सब बता दिया। तीन साल से ज्यादा अवधि नहीं दी जा सकती। जो विधेयक पास कर रहे हैं इसमें तीन साल से अधिक की अवधि नहीं है। इसी अवधि में काम करना होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तीन साल का इरादा है ?

श्री राम चन्द्र विकल : तीन साल के अंदर सब कुछ हो जायेगा। यह तो ज्यादा से ज्यादा है। यह कम से कम नहीं है। इस अवधि में सब कुछ हम को करना होगा। वैसे मैं नहीं समझता कि तीन साल इसमें लगने चाहिएं। जितनी जल्दी यह कमीशन की रिपोर्ट आ जाए उस पर जल्दी से जल्दी विचार करके यहां असेम्बली का दर्जा देना चाहिए।

यहां कितना विकास हुआ, क्या-क्या हुआ, यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं। सिद्दीकी साहब ने भी इसका जिक्र किया। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। हमारे गृह मंत्री जी बता रहे थे कि हमने कमीशन बैठाया। उसमें जमीन अधिग्रहण मकानों के लिए करने की बात है। लीज की बात भी गम्भीर प्रश्न है इसमें भी गृह मंत्री जी को सोचना चाहिए। जमीन अधिग्रहण करते वक्त किसान के बारे में भी सोचें। मैं समझता हूं कि जो अधिग्रहण कानून है उस को एकदम बदल लेना चाहिए अब तक यह होता है कोई नोटिस किसानों को नहीं जाता और जमीन अधिग्रहण हो जाती है। किसान मुकदमा किस के पास ले जाये। मुकदमा करने की क्षमता उसके पास नही है। वह कहां से पैसा लायेगा ? जबर्दस्ती से जमीन लेने वाले कानून में आप जरूर तबदीली लायें। दूसरे, किसान की मर्जी के खिलाफ जमीन नहीं ली जाये। उपजाऊ जमीन तो बिल्कुल न ली जाये। यह तो सिद्धांत भी है कि उपजाऊ जमीन बिल्कुल न ली जाये। आजकल क्या हो रहा है कि ज्यादातर उपजाऊ जमीन अधिग्रहण की जाती है और कारखानों के लिए और पता नहीं किस-किस के लिए ली जाती है। मैं तो इस राय का हूं कि दिल्ली की इतनी बड़ी आबादी है इसको एक जगह नहीं रखना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ठीक नहीं है। प्रदूषण भी बहुत हो रहा है। इस दृष्टि से

इंडस्ट्रीज भी शहर से दूर लगनी चाहिएं। आप यहां पर उद्योगों के लिए, आवास के लिए जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। सारी दुनिया के लोग दिल्ली चले आते हैं। बेकारी की वजह से यहां चले आते हैं और झुग्गी-झोपड़ी डाल लेते हैं और जमीन ले लेते हैं। किसानों की जमीन जो ली जाती है वह बहुत सस्ते दामों पर ली जाती है और अधिकारी उस जमीन को ज्यादा से ज्यादा दाम पर बेचते हैं मैं क्षमा चाहता हूं हमारे सरकारी अधिकारी चाहे दिल्ली के हों, चाहे हमारे जी. डी. ए. गाजियाबाद के हों या नौएडा के हों या हरियाणा के हो, जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र कहलाता है उसमें अधिग्रहण का कानून एक सा नहीं है। मेरा निवेदन है कि सब जगह अधिग्रहण का कानून एक सा बने। इसके लिए आप अधिग्रहण कानून में संशोधन लायें। दूसरे, यह कि बिना किसान की मर्जी के जमीन न लें। पहले मुआवजा दें उसके बाद जमीन लें। कई-कई साल तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता। सरकारी अधिकारी किसानों से सस्ते दाम पर जमीन ले लेते हैं, जो बाजार का आज का भाव है उस भाव से नहीं लेते और उस जमीन को कालोनाइजर्स को आज के भाव से भी ज्यादा भाव पर बेच देते हैं। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों से जमीन जो ली जाए, अधिग्रहण की जाये पहले तो उसका मुआवजा दिया जाए और फिर उस जमीन को सरकारी कामों के लिए ही इस्तेमाल मे लाया जाये। ये सरकारी अधिकारी अपनी तनख्वाहों से ज्यादा मुनाफा जमीन के व्यापार से कमा रहे हैं और जिस तरह से चाहते हैं उसी तरह से किसान को तबाह करते जा रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि किसान को तबाह होने से बचाया जाये और कानून में संशोधन किया जाये। अच्छा मुआवजा दिये बिना सरकार किसान से जमीन न खरीदे। तीसरे, इस जमीन को सरकारी कामों के लिए लगाया जाये। अगर सारी जमीन सरकार लेगी तो खुद बदनाम हो जायेगी। आप इंडस्ट्री के लिए जमीन लें और शहर से दूर इंडस्ट्रीज लगायें ताकि यहां प्रदूषण न हो। यह मुझे कहना है। दूसरी बात यह है कि जो मुआवजा है उस पर सूद देना भी तय किया गया है, लेकिन यह दिया नहीं जाता है। पिछले एक्ट में यह तय किया गया था, इन्दिरा जी ने मेहरबानी करके यह तय किया था कि अगर मुआवजा देने में देर होगी तो उस पर सूद दिया जाएगा। लेकिन मैं एक भी उदाहरण जानना चाहता हूं कि जिसमें दिल्ली में या हरियाणा में मुआवजा देर से मिलने पर सूद दिया गया हो। सारी चीजें कानून में तो होती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की जाती है उनको प्लाट देने का वायदा किया जाता है, लेकिन प्लाट नहीं दिये जा रहे हैं। चाहे दिल्ली हो या राजधानी क्षेत्र हो, सभी जगह यही स्थिति है और शायद यही स्थिति बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों में भी होगी, वहां भी मुआवजे पर सूद नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि किसानों के लिए इन सारी चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दूसरी जगहों पर किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाय तो उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

यही स्थिति लीज के संबंध में भी है। हरियाणा में लीज को समाप्त कर दिया गया है। अन्य राज्यों में भी लीज नहीं है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश ही ऐसे दो क्षेत्र हैं जहां पर लीज की व्यवस्था है। हमारे मित्र श्री पांगिग्रही जी ने इस ओर कुछ संकेत भी दिया है। सोचने का मतलब तो यही हो सकता है कि शायद वे इसको समाप्त कर दें। इसमें कागजी काम ही ज्यादा है, इसमें कोई फायदा नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप लीज को समाप्त कर दें। मैं अधिक न कहते हुए इस संशोधन विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आ जाये तो आप उस पर जल्दी से जल्दी अमल करके चुनाव कराये। चुनाव कराने का डर हमारी पार्टी को कभी नहीं रहा

[श्री रामचन्द्र विकल]

है और न ही हम चनावो से डरते हैं। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट जब आएगी तो उस पर विपक्षी सदस्यों को भी अपने विचार करने का मौका मिलेगा। उसकी रिपोर्ट पर आप अमल करें और दिल्ली को राज्य का दर्जा दें, राजधानी क्षेत्र भी उसमे बनायें। दिल्ली में ऐसेम्बली बनाने में कोई दिक्कत नही है। पहले भी यहां पर ऐसेम्बली रह चुकी है, ओल्ड सेक्रेटेरिएट यहां पर है, इसलिए सेक्रेटेरिएट की भी कोई दिक्कत नहीं है। श्री ब्रह्म प्रकाश जी यहां पर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उनको हटना पड़ा या हटाया गया, लेकिन यहां पर ऐसेम्बली रह चुकी है। उसके बाद भी गुरुमुख निहाल सिंह चीफ मिनिस्टर बने। वे ऐसेम्बली में स्पीकर भी रह चुके थे। कांग्रेस पार्टी सेक्यूलर पार्टी है। वे सिर्फ अकेले सिख मेम्बर थे. उनको दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में ऐसेम्बली बनाई जाय। ऐसेम्बली बनने के बाद जितने भी निगमों का नाम श्री पाणिग्रही जी ने लिया है उनकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। निगम कम से कम हो जाएंगे और शायद इस दृष्टि से खर्चा भी कम हो जाएगा। अभी जो विभिन्न निगम बना कर काम करना पड़ता है वह नहीं होगा तो खर्चा कम होगा। वैसे श्री वाजपेयी जी ने तो कहा कि डेमोक्रेसी महंगी पड़ती है। डेमोक्रेसी में खर्चे के बारे में ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है। लेकिन फिर भी खर्चे की दृष्टि से भी अगर निगमों की संख्या कम होगी तो उनके दफ्तरों पर और मशीनरी पर अभी जो खर्चा हो रहा है यह नहीं हो ा। इसलिए सब दृष्टियों से ऐसेम्बली उपयुक्त होगी। इन शब्दों के साथ मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे यह राज्य मंत्री जी ने जैसा कहा है, उसमें श्री वाजपेयी जी की शंका का भी समाधान हो जाएगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उप-सभाध्यक्ष जी, बहस में जिन आदरणीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पक्ष के जो सदस्य बोले हैं उन्होंने अपनी पार्टी का दृष्टिकोण रखा है। स्वाभाविक है कि वे सरकार का समर्थन करते। लेकिन एक प्रश्न जो मैंने शुरू में उठाया था और जिसका उत्तर श्री पाणिग्रही जी ने नही दिया और जिन्होंने विधेयकों का समर्थन किया है वे भी इस प्रश्न का उत्तर टाल गये। वह प्रश्न यह था कि सन् 1980 में कांग्रेस ने चुनावों में वायदा किया था कि दिल्ली को ऐसेम्बली देंगे, लेकिन 8 साल तक सरकार क्या करती रही? क्या चुनावों में दिया गया वायदा अमल में लाने के लिए नहीं होता? क्या वायदा करने से पहले उसके सारे पहलुओं के बारे में नहीं सोचा गया था? पहले वायदा करना, फिर उसे अमल में न लाना, अगले चुनाव में फजीहत होगी इसको टालने के लिये एक कमेटी बनाना, यह बताता है कि इस सवाल पर सरकार का दिमाग साफ नहीं है।

मुझे अभी भी डर है कि सरकारिया कमेटी का जो गठन किया गया है उसमें विधान सभा के प्रश्न पर विचार करने के लिये स्पष्ट निर्देश का समावेश क्यों नहीं किया गया? कांग्रस चाहती है विधान सभा बने, सारा प्रतिपक्ष चाहता है विधान सभा बने, लेकिन टर्म्स आफ रेफरेन्स में विधान सभा शब्द का भी उल्लेख नहीं है। अलग अलग एजेंसियों में तालमेल कैसे होगा, एफिसियेंसी कैसे बढ़ायी जायेगी? लेकिन सवाल केवल एफिसियेंसी बढ़ाने का नहीं है बल्कि दिल्ली के ढांचे में बुनियादी परिवर्तन का है, इन्क्रीमेंटल नहीं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर को बदलने का सवाल है। जब तक सरकारिया कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेन्स साफ नहीं होंगे, मैं नहीं समझता कि उससे विधान सभा की सिफारिश आयेगी या आने की आशा की जायेगी।

दूसरा प्रश्न यह है, अभी हमारे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि दिल्ली में कांग्रेस का शासन बहुत अच्छा चल रहा है। अस्पताल खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पुलों का निर्माण

हो रहा है, लोग बड़े संतुष्ट हैं। तब तो तत्काल चुनाव करा लेना चाहिए था, इस परिस्थिति का फायदा उठाना चाहिए था। अगर दिल्ली की जनता बाग बाग हो रही है तो फिर उसका लाभ उठाने में आप देरी क्यों कर रहे हैं ? ... (व्यवधान) ... हमारी तैयारी की चिंता कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो दावा किया जाता है यह खोखला लगता है। अगर यह बात थी तो जब पार्लियामेंट की बैठक चल रही थी, 16 दिसम्बर से पहले आकर कहते। लेकिन यह नहीं कहा। मैंने उदाहरण दिया था कि 10 तारीख को भी यह कहा गया कि चुनाव हो रहे हैं। 23 तारीख को मेट्रोपोलिटन कौंसिल में, मुझ जग प्रवेश चन्द्र जी की स्थिति पर दया आती है, वे 23 तारीख को कहते हैं कि चुनाव होंगे, नियत समय पर होंगे और 24 तारीख को चुनाव टाल दिये। क्या वजह है ? 24 तारीख को अध्यादेश लाना जरूरी था क्या ? मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह नितान्त असन्तोषजनक है। 16 दिसम्बर तक पार्लियामेंट चल रही थी। सरकार पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ सकती थी। अगर पार्लियामेंट की बैठक स्थगित हो गई थी तो अगली बैठक तक के लिये सरकार रुक सकती थी। कार्यकाल खत्म होना था फरवरी और मार्च में तो 24 दिसम्बर में कौन सी खास बात थी ? मंत्री महोदय ने कहा कि अगर मेम्बरों को पता लग जाता कि वे घर जाने वाले हैं तो वे काम में रुचि न लेते। यह बड़ा लचर कारण है। अगर ऐसी बात है तो फिर 24 तक क्यों रुके फिर तो 10 दिसम्बर को बता देना चाहिए था कि कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, आप रुचि लेकर काम करते रहिये। मैं जानना चाहता हूं कि 24 दिसम्बर का रहस्य क्या है ? मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार अपना काम गंभीरता से नहीं करती। संसद के सामने मामला आया और संसद के सामने बंधी बंधाई चीज रख दी गई। Parliament should not be presented with a *fait accompli.*

मुझे अध्यादेश पर आपत्ति है। ठीक है आपका बहुमत है आप जो चाहेंगे वह सदन में होगा। लेकिन लोकतंत्र की परम्परा, लोकतंत्र की मर्यादा, संसद के तकाजे इनको तो पूरा करिये। अध्यादेश निकाल दिया लेकिन कांग्रेस सदस्यों में इतना साहस नहीं है जो वे अध्यादेश को रद्द कर दें। लेकिन अगर अध्यादेश के बिना बिल आता, सरकार स्वयं फैसला करके आती और इस पर चर्चा होती तो वह अच्छा होता।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस राय का हूं कि राज्य सभा में व्हिप इश्यू नहीं होना चाहिए। यह एक अलग विषय है मैं अभी विस्तार से इसमें जाना नहीं चाहता। राज्य सभा दूसरा चेम्बर है, राज्य सभा का काम है रिवीजन का। मगर जिस तरह से लोक सभा में मतदान होता है, जिस तरह से लोक सभा चल रही है उसी तरह से हम राज्य सभा को भी चला रहे हैं।

तो राज्य सभा में तो कोई सरकार गिरती नहीं है। अगर कोई बिल में बहुत संशोधन करना चाहता है, मैं चाहूंगा पाणिग्रही साहब ने इसका भी जवाब नहीं दिया है . . . (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): You don't want voting in the Rajya Sabha. Whip means...

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: There should be voting without any whip. Members should be free not only to express their opinion, but also to register their vote.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That will not be in a Parliamentary democracy. That will not fit in.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपसभाध्यक्ष जी, ऐसा मत कहिये। अमरीका में व्हिप इश्यु नहीं होता है। अमरीका की यह परम्परा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य...

ठाकुर जगतपाल सिंह (मध्य प्रदेश) : जब आपकी सरकार आई थी तो आपने क्या किया था ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब मैं इसका भी जवाब दे दूं। यह सही है कि

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

जनता पार्टी सरकार एक बिल लाई थी। उस बिल से जनता पार्टी के सदस्य सहमत नहीं थे। इसलिए सदस्य सदन में नहीं रहे, कोरम नहीं हुआ और बिल पास नहीं हुआ। जनता पार्टी के सदस्यों ने इतना साहस दिखाया आप तो वह भी साहस नहीं दिखा सकते। कोरम नहीं था, वह लिए नहीं था कि मैम्बरों की रुचि नहीं थी, जनता पार्टी के सदस्य अपने नेतृत्व से इस सवाल पर मतभेद रखते थे। जनता पार्टी के सदस्य जैसी असेम्बली चाहते थे वैसी असेम्बली नहीं मिली थी इसलिए जनता पार्टी के सदस्यों ने कहा कि हम कोरम नहीं होने देंगे। वे असेम्बली चाहते थे, शक्तिशाली असेम्बली। अभी आपने स्वीकार किया कि लूली-लंगड़ी असेम्बली थी। मुश्किल यह थी कि जनता पार्टी के कुछ नेता भी पुरानी कांग्रेस के नेता थे और वे कांग्रेस के पुराने वायदों से बन्धे हुए थे इसलिए जनता पार्टी कोई बड़ा क्रान्तिकारी काम नहीं कर सकी। लेकिन इसमें आप मत जाइये। मेरा यह कहना है कि अगर जनता पार्टी ने जो किया वही आप करेंगे तो फिर जनता पार्टी का जो हाल हुआ वही आपका भी हाल होगा।

ठाकुर जगतपाल सिंह : भिन्न-भिन्न दिशाओं में जाने वाले यात्री एक प्लेट-फार्म पर खड़े हो गये थे जब गाड़ी बढ़ने लगी तो सब अलग अलग भाग गये। हम तो एक साथ चलने वाले हैं एक दिशा जाने वाले हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपकी गाड़ी दुर्घटना में गिरने वाली है जरा होशियार हो जाइये। गाड़ी में बैठे रहना ही काफी नहीं है। गाड़ी किस दिशा में जा रही है यह भी देखना जरूरी है यह अनुभव हीन ड्राईवर और गार्ड विहीन गाड़ी मुसाफिरों को कहां ले जाएगी इसका भी थोड़ा विचार कीजिये। उपसभाध्यक्ष जी भी पाणिग्रही जी इस सवाल का साफ साफ जवाब दें। इस संशोधन के अन्तर्गत एक साल का कार्यकाल बढ़ाने की बात क्यों नहीं की गई लगता है कि नापाक इरादे हैं।

श्री शमीम अहमद सिद्दीकी : सरकार की नीयत साफ है और पब्लिक के हित में वह कर रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब यह जवाब मुझे दिया जा रहा है, राज्य-सभा में दिया जा रहा है, पब्लिक हित का ठेका सरकार ने ले लिया है तो हम यहां क्या भाड़ झोंक रहे हैं। उपसभाध्यक्ष जी, विधेयक में तीन साल तक क्यों कहा गया है, यह वेलिड प्वाइंट है इसका कनविंसिंग रिप्लाई दिया जाना चाहिये। यह इसका जवाब नहीं हो सकता कि जनता के हित में जो कुछ होगा वह हम करेंगे। वे बताएं कि उनके इरादे क्या हैं। सरकारिया कमीशन को 6 महीने का समय दिया गया है। होना तो यह चाहिये था कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर फैसला किया जाएगा और जल्दी से जल्दी चुनाव करवाएंगे। मगर पाणिग्रही जी यह आश्वासन दें कि साल भर के बाद चुनाव नहीं टाले जाएंगे। अगर यह चुनाव से डरते नहीं हैं तो चुनाव करा लिये जाएं और अपनी इच्छा के समय पर चुनाव न कराइये, नियत समय पर चुनाव कराइये (**व्यवधान**) इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि चुनाव जो नियत था वह टाल दिये गये। म्यूनिसिपल कारपोरेशंस के साथ प्रदेश की सरकारें तो इस तरह का व्यवहार करती ही हैं परन्तु केन्द्र की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये। आपको याद होगा बम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट अंग्रेजों के जमाने में बना था और अंग्रेज उस में यह प्रबन्ध कर गये कि जब कारपोरेशन भंग की जाएगी तो चुनाव के साथ उसको जोड़ा जाएगा, कारपोरेशन भंग नहीं की जा सकती थी चुनाव साथ-साथ होंगे। अंग्रेज विदेशी था। अंग्रेजों का हमने विरोध किया मगर लोकल बाडीज के स्वायतता के बारे में अंग्रेजों के सोचने का दृष्टिकोण अलग था। अब तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन प्रदेश सरकारों की दया पर हो गया है। परमात्मा के लिए केन्द्र की तरफ से इस समय एक आदर्श रखिए। इस साल चुनाव टाल दिये, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक

साल से ज्यादा अवधि सरकार नहीं लगी इसका स्पष्ट आश्वासन दीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : थर्ड रीडिंग में हमको भी बोलने दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): At the time of third reading.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Sir, I think I have already replied to many of the points raised by Mr Vajpayee. I thank Mr. Vajpayee, Mrs Kanak Mukherjee, Mr. Siddiqui and Mr. Ram Chandra Vikal for participating in the discussion. Mr Vajpayee wanted two or three clarifications. One point was that why the extension is for three years? The extension in the first phase has been for one year. But, Sir, as you know instead of having repeated kind of enactments on the same measure, a kind of attitude of caution has been taken. The Commission has been given six months' time. That means we expect within six months they will complete all their reports and whatever references have been made to them they will look into them with a view to give better, effective, cohesive administrative set-up in Delhi. It means that all these facts will be put before them. All parties, citizens and representatives will meet the Commission.

SHRI D. B. CHANDRE GOWDA (Karnataka): How many extensions will be given to the Commission?

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: That is a different thing. It is only about three years. He wanted to know whether we have shelved elections for three years. That is not so. In the first phase it is only for one year and the Commission's time has been only six months. That is the objective. So it is only a kind of precaution we have taken. Suppose something happens then we may not have to come with another Bill and seek further extension. In order to avoid that kind of thing it has been done. So there is nothing to be apprehensive about these things. Mr. Vajpayee always harps upon only one point, that is, we are afraid of facing elections. As I said repeatedly in the last three years we have gone in for so many elections and bye-elections also. In a bye-election to the Lok Sabha seat in Delhi, I think, we have won by a margin of 30,000 votes or something like that. It is still fresh in our memory. Therefore, we are not afraid of elections. The extension of three years—the first phase is for one year—is because of some unforeseen circumstances that might come. But the objective is only for one year.

Sir, I am reminded of a story in my student days. There are two parties to an angreement. Suppose one explains one point, then, the other party has to say that, all right, you have sufficiently explained: I agree to that. Then, he agrees to it. There was a king and he once called all pundits from the entire country and asked. These are questions I am putting before you. If you can satisfactorily explain and answer all these points and I am satisfied, then I will give half of my kingdom to you." Then the Queen who was sitting beside him said: "What are you promising them? They are all great learned pundits. They will explain you everything and then you will be satisfied and you have to give them half of the kingdom. Then, what will happen to me?" Then the King explained to the Queen "I am the King and you think I don't understand what I am doing? After explaining everything, they will ask me "King, have you understood this thing?" I will say, no."

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, he is the King.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Then, the Queen said: "I am very happy." You are a very clever man."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Who is the King? Mr. Vajpayee or yourself?

SHRI RAM AWADESH SINGH: Is Government a King or a Queen?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Those who are in power, they are Kings.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: The other point Mr. Vajpayee was raising was, if you have done so much development in Delhi, then why don't you go in for elections? We do not take advantage of situations. The others might take political advantage but we do not. We simply want to see how the citizens of Delhi are suffering because everyday I find hundreds of people are coming to me. They have serious problems. How to find solutions to those problems? Therefore, with all sincerity and with all seriousness, this Sarkaria Commission has been appointed. It is a very important Commission. But what I want to put before the House is that there is a multipliciy of organisations and we are suffering from that. I must bring this fact to the notice of the hon. Members. I am just giving a few instances. Now we have various authorities. For example, Delhi Fire Service. Now Delhi Fire Service is a part of the Municipal Corporation of Delhi. There is no fire cess in the NDMC area where almost all the high-rise buildings are situated. The hon. Members in every Session raised this point that why no precaution has been taken to safeguard high-rise buildings. Then I come to the Delhi Fire Service. It caters to the needs of entire Union Territory of Delhi but it has no power to have cess for prevention of fire on high-rise buildings. These are the lacunae and if we analyse one by one, these are very serious things.

The DDA is concerned with the execution of master plan for the development of Delhi; yet the land acquision for the purpose is the concern of the Delhi Administration. Different authorities are concerned with land development. Another authority is concerned with the provision of physical and social infrastructure. Then another authority is concerned with transport, roads, health and education. You can understand how much time it takes to get all these clearances. This is creating a number of problems for the development and what is the result? The result is inordinate delay in implementing the various plan schemes for the development of Delhi.

Then I come to maintenance of roads. I went to many places in Delhi some time ago and saw what the condition was. The P.W.D. Delhi Administration, the D.D.A. and the Municipal Bodies are concerned with the construction and maintenance of various roads in Delhi. The result is that maintenance part is completely neglected Only construction is there because who look after the maintenance? Therefore, many roads of Delhi are not well mainted.

Now about the hospitals. Mr. Vajpayee must be visiting Delhi hospitals. What do we find Surprisingly, without notice, I went to some of the hospitals. What I found there? All the hospitals are run by the Ministry of Health, the Delhi Administration and the Municipal Corporation of Delhi. Due to overlapping and paucity of funds with the Delhi Municipal authorities, the standard of hospitals is not up to the mark. I can say politely, not up to the mark. What is the condition of hospitals in Delhi today? Every hon. Member is raising this point. We are facing these difficulties due to the overlapping of functioning. This is a very serious concern for the people of Delhi. We are trying our best to see as to how to find a solution to these problems. Therefore, there is no political advantage in this. Whatever developments have taken place, Mr. Shamim Ahmed Siddiqi and also other Members have mentioned about that. I can cite two-three examples To provide better transport facilities to the citizens of Delhi, a preliminary report for development of east-west corridor has already been submitted to the Central Government and we are considering this. This will facilitate the transport system of Delhi. The Central Government has also set up a task force to suggest the best means of transport to the increasing number of commuters in the capital city. That is a great problem in Delhi, not like Bombay where..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Do not say like that.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Bombay is much better.

SHRI VISHVJIT PRITHVIJIT SINGH (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to point out here that our BEST, the State Transport in Bombay, is carrying far more passengers at far cheaper rates. It is working efficiently and your Delhi Transport Corporation, let me tell you, is running at a loss which is running into crores, for years, and the accumulated losses are now Rs. 1500 crores and you dare to compare with Bombay. I take strong exception, Sir.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: You are adding to what I said.

श्री राम अवधेश सिंह : अध्यक्ष की कुर्सी पर रहते हुए आपके राज को नीचा दिखाना चाहते है।

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: The other important problem is the supply of drinking water. The water supply problem in Delhi has become a matter of serious concern because the number of people is increasing and the capacity has not increased. Now we are trying to have an agreement with Haryana whereby we can give them raw water and get fresh water. I hope we can expedite these things.

In the prevailing circumstances, the Administration was able to provide 397 million gallons of water a day by the end of 1987-88. To step up that further to 422 million gallons a day, all efforts are being made. Besides supply of water from the river Jamuna by Jamuna Canal and Ganga water, seven million gallons of water a day were supplied from the new tube-wells that we have set up.

Then, Sir, the National Capital Region queston is there. This is a bigger problem. We are going through the interim development report. There are plans to restrict the population of Delhi which is going up like anything, to 1,12,00000 by 2000 A.D. There are also plans to deflect the potential Delhi-bound migrants and to separate them in eight townships so that the population influx is checked. These plans are being worked out with the sole objective that the permanent residents of Delhi should not suffer.

These are the various programmes we are taking up. We expect that the Commission will submit its report as per the sixth-month time-bound programme. We shall try to give a very good, better, set-up and more democratic rights to the people of Delhi, as our friends, both here and in the Opposition, have suggested. If they consider more democratic participation—by having a body like an assembly—all the friends can meet the Sarkaria Commission and put forward their views. If a report is given considering all these views, it will be helpful to us to go into that question. As you know, when we gave Statehood to Mizoram, Arunachal and Goa, the totality of circumstances were taken into consideration. The population, the viability, everything was taken into consideration. Therefore, all the active people of Delhi can go to the Commission and give their views. If the report is given based on these things, we shall look into the matter.

I appeal to all hon. friends, Shri Vajpayeeji and others, to participate in our efforts and support the motion.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Are you withdrawing your resolution Mr. Vajpayee?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Why should I withdraw?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now I shall put the resolution moved by Mr. Vajpayee to vote. The question is:

"That this House disapproves of the Delhi Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 1987 (No. 9 of 1987) promulgated by the President on the 24th December, 1987."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I shall now put the motion moved by Mr. Chintamani Panigrahi to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 & 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Sir, I move—

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

श्री राम अवधेश सिंह उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे पहले बोलने की इच्छा नहीं थी। लेकिन जब माननीय मंत्री जी पाणिग्रही जी का भाषण मैंने सुना।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : नहीं-नहीं, यह पहले आपने नहीं बताया।

श्री राम अवधेश सिंह : और जब इन्होंने अपने ऐसे तर्क दिए, जिसका कोई आधार नहीं है तो मेरी इच्छा हुई कि जरा इस पर कुछ बोला जाये। इधर सरकार की नीयत कुछ ऐसी है, कल भी एक बिल आया था, उसमें इन लोगों ने आपने देखा था, माना था कि जो बोर्ड के काम हैं, उसके डायरेक्टर वगैरह के, उनको कोर्ट में चेलेंज न किया जाये। उसी ढंग से यह कहा गया है। जम्हूरियत को खतम करने का यह काम है।

महोदय, डा० लोहिया ने जनतंत्र के बारे में कंसेप्ट दी थी चौखंबा-राज्य की, जो स्वायत संस्थाएं हैं, जिनका गांव से संबंध है, कहीं भी उसके चुनाव रोकना जनतंत्री जड़ पर कुठाराघात करना है। बड़े चुनावों को टाला जा सकता है दो महीना, चार महीना, छह महीना, लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कौन ऐसा जनतंत्रीय देश है, जहां म्युनिस्पेलिटी के, कारपोरेशन के चुनाव को टाला जाता है? कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहां म्युनिसपेलिटी के, कारपोरेशन के चुनाव को टाला जाये क्योंकि दैनिक जीवन की जो जरूरियाते हैं–पानी, सफाई, स्वास्थ्य वगैरह की, उन सारी चीजों का प्रबंध उन्हीं के जिम्मे रहता है।

एक माननीय सदस्य : आपने भी। तीन साल में चुनाव नहीं कराए थे

श्री राम अवधेश सिंह : जो हम लोगों ने चुनाव कराया है, वही रहा बिहार में और हुजूर आठ साल हो गया, दस साल हो गया, हर बार वहां चुनाव को टाला जा रहा है। सन् 1971 में हमारी सरकार ने चुनाव कराया था म्युनिसपेलिटी और पंचायतों का, फिर हम ल' आ'' 978 में तो हमने चुनाव कराए और फिर यह 1978 का कराया अब 1988 हो गया, अभी तक चनाव नहीं हुए। इसका मतलब है कि जिससे जनतंत्र की जड़ें मजबत होती हैं आप उन्हीं पर कुठाराघात करते हैं। महोदय, अब मैं थोड़ा बुनियादी बात कहना चाहता हूं।... **(व्यवधान)**... आप देखिए, महोदय, कि ये लोग इसलिए नियुक्त किये गये हैं, कुछ लोगों को टिकिट इसलिए दिया जाता है कि विरोधी दल का कोई आदमी यहां सही बात बोले तो हल्ला कर उसको बोलने न दिया जाय।

श्री विश्वजीत पृथ्वीजित सिंह : उप-महोदय, यह तो अभी बुनियाद सभाध्यक्ष ही बता रहे हैं, ईमारत बनाएंगे जब तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा।

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, पाणिग्रही जी ने... **(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : देखिए, अगर आप पहले आते तो आपको ज्यादा समय दे देता।

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, पाणिग्रही जी ने जो तर्क दिए है, मैं उसके बारे में दो मिनिट ही आपका समय लेना चाहता हूं। अगर चुनी हुई संस्था न हो, जो कारपोरेशन है और यह मेट्रोपोलिटन कौन्सिल है, या वह चुनी हुई संस्था ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं कर सकती है। अगर वह नहीं कर सकती है तो सरकार कानून बना कर ले लेती है। म्युनिसपेलिटी के अंदर या कारपोरेशन के अंदर या मेट्रोपोलिटन कौंसिल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का वाटर-सप्लाई का यह सब काम नहीं रहेगा, केन्द्रीय सरकार इसको कर सकती है । केन्द्रीय सरकार ही इसको कर सकती है। यह तो संविधान की अवमानना है और जो संविधान की भावना है कि दैनिक उपभोग की चीजों को मुहैया कराने का जो काम म्युनिसपैल्टी को, और स्वायत्त संस्थाओं का करना चाहिए कार्पोरेशन को उनसे छीनने का यह काम जनतंत्र पर हमला है और संविधान पर हमला है। मैं चाहूंगा कि यह सरकार ऐसा काम न करे और चुनाव कराए । यह सरकार असल में चुनाव से बचना चाहती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : बस अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, एक मिनिट में समाप्त कर दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : यह ठीक नहीं है।

श्री राम अवधेश सिंह : अगर दिल्ली में चुनाव होगा और दिल्ली से पत्ता कट गया तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे और देश में चारों तरफ इनकी हार हो जाएगी। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I shall now put the motion moved by the Minister to vote.

The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आपका दूसरा प्रस्ताव आप वापिस करना चाहते है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, एक बार मैदान में आकर हम वापिस नहीं जाते है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I shall now put the Resolution moved by Mr. Vajpayee to vote.

The question is:

"That this House disapproves of the Delhi Administration (Amendment) Ordinance, 1987 (No. 10 of 1987) promulgated by the President on the 24th December 1987."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I shall now put the motion moved by the Minister to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi Administration Act, 1966, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE BUDGET (RAILWAYS) 1988-89 —General Discussion

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): We shall now take up